डा. रामेश्वर उरॉव, माननीय अध्यक्ष एवं श्री बी.एल. मीना, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, नई दिल्ली के साथ आयोग के अधिकारियों के दिनांक 10–9–12 से 18–9–12 तक वाराणसी (उत्तर प्रदेश), सिंगरौली, अनूपपुर तथा भोपाल (म.प्र.) दौरे की रिपोर्ट।

1.0 डा. रामेश्वर उरॉव, माननीय अध्यक्ष एवं श्री बी.एल. मीना, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, नई दिल्ली के साथ श्री आदित्य मिश्रा, संयुक्त सचिव, श्रीमती के.डी. बंसोर, उप निदेशक एवं श्री आर.के. दुबे, सहायक निदेशक ने दिनांक 10–9–12 से 18–9–12 तक वाराणसी (उत्तर प्रदेश), सिंगरौली, अनूपपुर तथा भोपाल (म.प्र.) का दौरा किया जिसकी सूचना दोनों राज्य सरकारों एवं संबंधित उपक्रमों/ संस्थानों को आयोग के बेतार संदेश क्रमांक 16/18/रिव्यू/मॉनिटरिंग/सिंगरौली/अनूपपुर/2012/आर–यू–।।। दिनांक 6–9–2012 द्वारा पूर्व में ही दी गई थी। इस दौरे में आयोग द्वारा दो केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों को सेवाओं एवं शिक्षा में प्राप्त सुरक्षणों तथा कल्याण कार्यक्रमों के कियान्वयन की समीक्षा की गई। साथ ही मध्य प्रदेश में निजी उद्योगों एवं सरकारी उपक्रमों की स्थापना एवं विस्तार हेतु अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों की भूमि के अधिग्रहण एवं राहत तथा पुनर्वास से जुड़े मुद्दों का जमीनी जायजा भी लिया गया।

10–9–2012

2.0 आयोग के माननीय अध्यक्ष, सदस्य एवं अधिकारीगण दिल्ली से चलकर प्रातः 11.45 बजे वाराणसी के लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुँचे जहां पर जिले के प्रोटोकॉल अधिकारी एवं केन्द्रीय तिब्बती अध्ययन विश्वविद्यालय, सारनाथ के अधिकारियों ने उनका स्वागत किया। तत्पश्चात् वे केन्द्रीय तिब्बती अध्ययन विश्वविद्यालय, सारनाथ के लिए रवाना हुए।

2.1 केन्द्रीय तिब्बती अध्ययन विश्वविद्यालय, सारनाथ पहुंचने पर विश्वविद्यालय के कुलपति, कुलसचिव एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने सबका स्वागत किया। अपरान्ह में आयोग ने विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी एवं डाक्यूमेंटेशन सेन्टर देखा जहां पर बड़ी संख्या में दुर्लभ ग्रंथों एवं पांडुलिपियों का संकलन है। आयोग ने इतनी बड़ी संख्या में विभिन्न भाषाओं के सुरक्षित रखे गए ग्रंथों एवं पांडुलिपियों को देखकर प्रसन्नता व्यक्त की।

केन्द्रीय तिब्बती अध्ययन विश्वविद्यालय, सारनाथ, वाराणसी में अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों को सेवाओं एवं शिक्षा के क्षेत्र में प्राप्त सुरक्षणों के कियान्वयन की समीक्षा बैठक।

2.2 राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग द्वारा अपरान्ह 15.00 बजे केन्द्रीय तिब्बती अध्ययन विश्वविद्यालय, सारनाथ, वाराणसी में सेवाओं में अनुसूचित जनजातियों को प्राप्त सुरक्षणों के कियान्वयन एवं इस वर्ग के छात्रों के कल्याण की स्थिति की समीक्षा की गई। इस बैठक हेतु आयोग द्वारा विश्वविद्यालय से जानकारी प्राप्त करने हेतु पूर्व में ही प्रश्नावली भेज दी गई थी जिसके उत्तर तथा अधिकारियों एवं छात्र–छात्राओं से ली गई जानकारी के आधार पर समीक्षा की गई। बैठक में मुख्यतः निम्नलिखित बिन्दुओं पर चर्चा की गई:

1) बैठक में विश्वविद्यालय के कुलपति ने आयोग को जानकारी दी कि केन्द्रीय तिब्बती उच्च अध्ययन संस्थान (वर्तमान में विश्वविद्यालय) की स्थापना तत्कालीन प्रधान मंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू एवं माननीय दलाई लामा जी के बीच वर्ष 1964 चर्चा के बाद की गई थी ताकि तिब्बत पर चीन के आधिपत्य के बाद वहां से आए छात्र–छात्राओं की उच्च शिक्षा का प्रबंध किया जा सके। प्रारंभ में इस संस्थान को डा. संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी की विशेष शाखा के रूप में वर्ष 1967 में शुरू किया गया था। इस संस्थान को वर्ष 1988 में डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया तथा वर्ष 2000 में इसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अंतर्गत NAAC द्वारा पांच सितारा रेटिंग/मान्यता दी गई है। यह एक विशिष्ट प्रकार का विश्वविद्यालय है जो कि तिब्बती संस्कृति के संरक्षण के लिए स्थापित किया गया है जिसकी जड़ें भारतीय संस्कृति में निहित हैं। इसके अलावा इस विश्वविद्यालय के गठन का उद्देश्य तिब्बती भाषा में संरक्षित प्राचीन भारतीय विज्ञान तथा साहित्य को बचाए रखना है जो कि मूल स्वरूप में लुप्त हो गया है। साथ ही तिब्बतियों तथा भारत के सीमांत क्षेत्रों के

RAMESHWAR ORAON
अध्यक्ष / Chairman
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार / Govt. of India
नई दिल्ली / New Delhi

विद्यार्थियों को वैकल्पिक शैक्षणिक सुविधा/तिब्बती अध्ययन में डिग्रियां उपलब्ध कराना भी एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है जो कि पूर्व में तिब्बत में उच्च शिक्षा प्राप्त करते थे। यह विश्वविद्यालय एक आधुनिक विश्वविद्यालय के वातावरण में बौद्व तथा तिब्बती अध्ययन में शोध सहित पारंपरिक शिक्षा प्रदान करता है। तिब्बतियों ने विक्रम शिला, तक्षशिला और नालंदा विश्वविद्यालयों की प्राचीन गौरवशाली भारतीय परंपराओं को बनाए रखा है।

2) वर्तमान में इस विश्वविद्यालय में कुल 403 विद्यार्थी अध्ययनरत हैं । इनमें से 54 विद्यार्थियों ने इसी सत्र में प्रवेश लिया है। अनुसूचित जनजाति के छात्र–छात्राओं की संख्या 18 है जिनमें से 3 महिलाएं हैं। इनमें से अधिकांश विद्यार्थी लद्दाख (जम्मू और कश्मीर), किन्नौर (हिमाचल प्रदेश) और तवांग (अरूणाचल प्रदेश) के हैं। अनुसूचित जनजातियों के विद्यार्थियों से चर्चा में यह बात सामने आई कि उन्हें किसी प्रकार की समस्या नहीं है। वे विश्वविद्यालय में पढ़ाई के स्तर एवं वहां उपलब्ध सुविधाओं से संतुष्ट दिखे। आयोग द्वारा यह पूछे जाने पर कि किसी विद्यार्थी का चयन विदेश में उच्च शिक्षा हेतु राजीव गांधी स्कॉलरशिप हेतु हुआ है अथवा नहीं, यह बताया गया कि किसी छात्र ने इसके लिए आवेदन नहीं किया। आयोग ने सुझाव दिया कि विश्वविद्यालय के प्रतिभावान विद्यार्थियों को प्रोत्साहित किया जाए ताकि वे विदेश में उच्च अध्ययन हेतु इस स्कॉलरशिप की सुविधा प्राप्त कर सकें।

कार्रवाईः कुलपति, केन्द्रीय तिब्बती अध्ययन वि.वि.

3) चर्चा में आयोग को जानकारी दी गई कि विश्वविद्यालय में वर्ष 2009–10 से सोवा–रिग्पा में स्नातकोत्तर कोर्स (MD/MS) प्रारंभ किया गया है जो कि तिब्बती चिकित्सा पद्वति पर आधारित है। बैठक में यह भी सूचित किया गया कि इस चिकित्सा पद्वति की आयुर्वेद से काफी समानता है। विश्वविद्यालय के कुलपति ने तिब्बती चिकित्सा पद्वति के अध्ययन के विस्तार हेतु किए जा रहे प्रयासों की जानकारी दी और भारत सरकार के आयुष विभाग से सहायता दिए जाने की मांग की।

कार्रवाईः आयुष,स्वास्थ्य मंत्रालय, भारत सरकार

4) आयोग ने विश्वविद्यालय के नीति नियंताओं से आदिवासियों, विशेष कर सीमांत क्षेत्रों में निवासरत समुदायों के पारंपरिक अधिकारों, उनकी संस्कृति, रीति–रिवाजों और सरकार की विभिन्न योजनाओं के कियान्वयन की स्थिति के संबंध में अध्ययन करने का अनुरोध किया।

कार्रवाईः कुलपति, केन्द्रीय तिब्बती अध्ययन वि.वि.

5) विश्वविद्यालय द्वारा आयोग को अवगत कराया गया कि वर्ष 2008 के पूर्व विश्वविद्यालय के विभिन्न पद भारत सरकार द्वारा नियमित नही किए गए थे तथा आरक्षण संबंधी नीति का अनुपालन इसके बाद से ही किया जा रहा है। आयोग ने यह पाया कि दिनांक 1–3–2008 की स्थिति में विश्वविद्यालय में ग्रुप ए के 42 अधिकारी कार्यरत थे जिनमें से कोई भी अनुसूचित जनजाति का नहीं था। इसी प्रकार ग्रुप बी में 22 अधिकारी कार्यरत थे जिनमें से कोई भी अनुसूचित जनजाति का नहीं था। ग्रुप सी के 18 कर्मचारियों में से एक कर्मचारी (5.5 प्रतिशत) अनुसूचित जनजाति का था जबकि ग्रुप डी के 40 कर्मचारियों में से केवल एक कर्मचारी (2.5 प्रतिशत) अनुसूचित जनजाति का था। दिनांक 1–11–2011 की स्थिति में ग्रुप ए में अधिकारियों की संख्या बढ़कर 50 हो गई फिर भी अनुसूचित जनजातियों की संख्या निरंक ही रही। ग्रुप बी में 21 अधिकारियों में अनुसूचित जनजातियों का प्रतिनिधित्व निरंक ही रहा । ग्रुप सी और डी के 21 तथा 36 पदों में अनुसूचित जनजातियों का प्रतिनिधित्व मात्र एक –एक कर्मचारी का ही बना रहा। आयोग ने विश्वविद्यालय में डी.ओ.पी.टी के निर्देशानुसार रोस्टरों का संधारण करने एवं विभिन्न समकक्ष पदों की ग्रुपिंग किए जाने का सुझाव दिया। आयोग ने ग्रुप 'ए', 'बी' एवं 'डी' में अनुसूचित जनजाति के अधिकारियों/कर्मचारियों की संख्या को अपर्याप्त बताया और भविष्य में की जाने वाली नियुक्तियों में आरक्षण संबंधी नियमों का पालन करते हुए अनुसूचित जनजातियों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। साथ ही ग्रुप सी के पदों पर इनके प्रतिनिधित्व में सुधार करने का निर्देश दिया।

कार्रवाईः कुलपति, केन्द्रीय तिब्बती अध्ययन वि.वि

Rameshwar Oraon

डा० रामेश्वर उरांव / Dr. RAMESHWAR ORAON
अध्यक्ष / Chairman
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार / Govt. of India
नई दिल्ली / New Delhi

6) हालांकि विश्वविद्यालय के कुलसचिव द्वारा आयोग को बताया गया कि अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों/विद्यार्थियों से किसी प्रकार की शिकायत नही मिली है एवं वे अपने शिकायत सीधे कुलपति के सामने प्रस्तुत कर सकते हैं, आयोग ने विश्वविद्यालय के कुलपति को सुझाव दिया कि अनुसूचित जनजाति हेतु संपर्क अधिकारी शीध्र ही नामित किया जाए क्योंकि अभी तक विश्वविद्यालय द्वारा ऐसा नही किया गया हैं।

कार्रवाईः कुलपति, केन्द्रीय तिब्बती अध्ययन वि.वि

बैठक के अंत में विश्वविद्यालय के कुलपति ने मार्गदर्शन हेतु आयोग के माननीय अध्यक्ष एवं सदस्य को धन्यवाद दिया।

11–9–2012

3.0 दिनांक 11–9–2012 को आयोग के दल ने प्रातः 8.00 बजे वाराणसी से सड़क मार्ग द्वारा सिंगरौली (म.प्र.) के लिए प्रस्थान किया एवं अपरान्हः 14.30 बजे एनटीपीसी, विन्ध्याचल सुपर थर्मल पावर स्टेशन, सिंगरौली पहुंचा जहां महा प्रबंधक (मा.सं) ने सबका स्वागत किया।

एनटीपीसी एवं एनसीएल के विस्थापितों के राहत एवं पुनर्वास कार्यक्रम पर प्रारंभिक चर्चा।

3.1 अपरान्हः 16.00 बजे आयोग ने परियोजना प्रभावितों एवं सरकारी परियोजनाओं के अधिकारियों से विस्थापितों को राहत एवं पुनर्वास कार्यक्रम पर प्रारंभिक चर्चा की। चर्चा में आयोग को निम्नानुसार जानकारी दी गईः

1) नार्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (एनसीएल) के अधिकारियों के साथ प्रारंभिक चर्चा में आयोग को जानकारी दी गई कि एनसीएल ने अपनी परियोजनाओं के लिए सिंगरौली (म.प्र) और सोनभद्र (उ.प्र.) में भूमि अधिग्रहण किया है। विस्थापितों का कोल इंडिया की नई राहत और पुनर्वास नीति, 2006 के प्रावधानों के अंतर्गत पुनर्वास किया जा रहा है। कंपनी द्वारा उन विस्थापितों के परिवार के एक सदस्य को नौकरी दी जाती है जिनकी कम से कम 2 एकड़ भूमि अधिग्रहित की गई है। इससे अधिक भूमि अधिग्रहित किए जाने पर हर दो एकड़ पर एक विस्थापित को नौकरी दिए जाने का प्रावधान है। आयोग द्वारा जानकारी चाहे जाने पर अवगत कराया कि राज्य में कोल बियरिंग एक्ट तथा भूमि अधिग्रहण अधिनियम के अंतर्गत भूमि अधिग्रहण का कार्य किया जाता है। एनसीएल द्वारा कोल बियरिंग एक्ट के अंतर्गत ही भूमि अधिग्रहण किया गया था जिसके लिए भारत सरकार अधिसूचना जारी करती है। कुछ ऐसे मामले भी हैं जिनमें पूर्व में जिन परियोजना प्रभावितों की भूमि अधिग्रहित करके उन्हें अन्यत्र बसाया गया था, उन्हें दुबारा हटाना पड़ रहा है ताकि कोयले का उत्पादन किया जा सके।

2) एनटीपीसी, विन्ध्याचल सुपर थर्मल पावर स्टेशन, सिंगरौली के संबंध में आयोग को यह जानकारी दी गई कि इस परियोजना के लिए भूमि का अधिग्रहण म.प्र. भूमि अधिग्रहण अधिनियम के अंतर्गत किया गया है। यह परियोजना देश में विद्युत उत्पादन में अग्रणी है। परियोजना प्रभावित लोगों के पुनर्वास हेतु समुचित प्रबंध किया गया है।

सूर्य विहार, मझौली चाचर पुनर्वास स्थल का दौरा

3.2 आयोग का दल शाम 18.00 बजे सूर्य विहार, मझौली चाचर पुनर्वास स्थल पर पहुंचा और बड़ी संख्या में वहां पर बसाए गए लोगों से चर्चा की। निजी क्षेत्र की सासन अल्ट्रा मेगा पावर परियोजना की स्थापना के लिए जिन लोगों की भूमि अधिग्रहित की गई, उन्हें सूर्य विहार में बसाया गया है। आयोग को यह जानकारी दी गई कि यह परियोजना रिलायन्स कंपनी की है जिसमें 4000 मेगावॉट बिजली का उत्पादन किया जाएगा जिसे सात राज्यों को दिया जाएगा। सिद्दी खुर्द, तियरा आदि चार–पांच गांवों के लोगों को सूर्य विहार में बसाया गया है। विस्थापितों से हुई चर्चा के प्रमुख बिन्दु निम्नानुसार हैः

Rameshwar Oraon

डा० रामेश्वर उरांव / Dr. RAMESHWAR ORAON
अध्यक्ष / Chairman
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार / Govt. of India
नई दिल्ली / New Delhi

1) पुनर्वास स्थल पर कंपनी द्वारा सामुदायिक केन्द्र, विद्यालय आदि का प्रबंध किया गया है। तथापि ग्राम वासियों को काम करने के लिए प्लांट तक जाने में असुविधा होती है क्योंकि उन्हें घूम कर लंबे रास्ते से जाना होता है जो कि एक ओर 14–15 कि.मी. दूर पड़ता है। ग्राम वासियों ने प्लांट तक जाने के लिए प्रोजेक्ट की टाउनशिप से होकर छोटे रास्ते के निर्माण की मांग की। जिसका समझौता रिलायन्स ने पहले ही किया है।

2) गांव में जनरेटर चलाकर केवल 3 घंटे बिजली की आपूर्ति की जा रही है। शाम को अंधेरा होने के बाद बिजली की सर्वाधिक आवश्यकता पड़ती है उस समय बिजली उपलब्ध नहीं रहती है।

3) ग्राम वासियों ने शिकायत की कि कंपनी द्वारा कुछ विस्थापितों को प्रत्यक्ष रोजगार न देकर प्रोजेक्ट में काम करने वाले ठेकेदारों के मातहत काम दिया गया है जो कि परियोजना के निर्माण कार्य की समाप्ति के बाद बेरोजगार हो जाएंगे। कई युवकों ने आयोग को बताया कि उन्हें शटरिंग कारपेंटर, फिटर आदि के कार्य का प्रशिक्षण दिया गया किन्तु या तो उनसे मिट्टी फेंकने आदि का काम लिया जा रहा है अथवा उनसे कोई काम नही लिया जा रहा है जिसके फलस्वरूप वे बेरोजगार हैं। कंपनी ने विस्थापितों को रोजगार देने का अपना वादा पूरा नहीं किया है।

4) अधिकांश ग्रामवासियों की शिकायत थी कि उनके बच्चों का गांव के विद्यालय में अध्ययन हेतु प्रवेश नही लिया जा रहा है। कुछ ग्राम वासियों के एक बच्चे का विद्यालय में नाम लिखा गया है किन्तु अन्य बच्चों का नाम नही लिखा जा रहा है जबकि वे विद्यालय जाने की उम्र के है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन किया जा रहा है।

5) ग्राम वासियों की शिकायत थी कि पुनर्वास स्थल पर ग्राम वासियों के इलाज हेतु कोई प्रबंध नही किया गया है और इस ओर तत्काल ध्यान दिया जाना चाहिए।

6) कई ग्रामवासियों ने शिकायत की कि पात्र लोगों को वृद्वावस्था पेंशन, विकलांगता पेंशन, विधवा पेंशन तथा सामाजिक कल्याण की विभिन्न योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है।

7) अनुसूचित जनजाति के कई व्यक्तियों ने आयोग को बताया कि वे भूमि अधिग्रहण के कारण भूमिहीन हो गए है तथा उन्हें भूमि के बदले भूमि न देकर नकद मुआवजा दिया गया है। उन्होंने सूर्य विहार में खाली जमीन लेकर मकान बनाया है। कई परिवारों के बच्चे अब वयस्क होकर बाल–बच्चेदार हो गए हैं किंतु वे बेरोजगार हैं।

कार्रवाईः जिला कलेक्टर, सिंगरौली

12–10–2012

नंदगांव पुनर्वास स्थल का दौरा

4.0 आयोग ने प्रातः 10.30 बजे नंदगांव पुनर्वास स्थल का दौरा किया जिसे अमझर गांव में बसाया गया है। इस पुनर्वास स्थल पर एनसीएल की निगाही एवं अमलोरी परियोजना से विस्थापित परिवारों को बसाया गया है। आयोग के दल के साथ एनसीएल, निगाही परियोजना के महाप्रबंधक और स्थानीय विधायक भी गांव में उपस्थित थे। आयोग को जानकारी दी गई कि इस गांव में कुल 1620 भूखंड हैं जहां पर निगाही परियोजना से विस्थापित 652 और अमलोरी परियोजना से विस्थापित 173 परिवारों को बसाया गया हैं। इस प्रकार कुल 825 भूखंड आवंटित किए गए हैं। निगाही परियोजना से विस्थापित परिवारों में से 55 और अमलोरी परियोजना से प्रभावित परिवारों में से 36 परिवार अनुसूचित जनजाति के हैं। बाकी भूखंड या तो खाली पड़े है या निकट में रहने वाले परिवार के सदस्य अस्थाई रूप से उनका उपयोग कर रहे है। ग्राम वासियों से चर्चा में निम्नलिखित बिन्दु उभरेः

1) अनुसूचित जनजाति के श्री बबुआ बारी ने बताया कि एनसीएल द्वारा उनके परिवार को भूखंड दिया गया है तथा पीने के पानी की भी व्यवस्था है किन्तु बिजली की कोई व्यवस्था नही की गई है। अन्य ग्राम वासियों ने भी

Rameshwar Oraon
डा० रामेश्वर उरांव / Dr. RAMESHWAR ORAON
अध्यक्ष / Chairman
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार / Govt. of India

बिजली की उचित व्यवस्था करने का अनुरोध किया। आयोग के अध्यक्ष ने सड़क पर हाई मास्क खंभे लगाने का सुझाव दिया।

2) कुछ ग्रम वासियों ने शिकायत की कि गांव के निजी विद्यालय में बच्चों को प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। विद्यालय की फीस भी काफी ज्यादा है। यह शिक्षा के अधिकार कानून का उल्लंखन है। यहां पर सरकारी विद्यालय खोला जाना चाहिए ताकि उनके बच्चे उचित ढंग से शिक्षा प्राप्त कर सकें।

3) श्री राम प्रताप बसोर ने शिकायत की कि उनकी दो गांवों में भूमि थी जिसे अधिग्रहित किया गया। दोनों गांवों की अधिग्रहित भूमि मिलाकर दो एकड़ से अधिक थी किन्तु उन्हें अलग–अलग गांवों से किया गया भूमि अधिग्रहण मानकर नौकरी नहीं दी गई । श्री सुनील कुमार श्रीवास्तव ने यह भी कहा कि कुल अधिग्रहित भूमि के अनुपात में परिवार के उतने सदस्यों को नौकरी नही दी गई।

4) ग्राम वासियों ने गांव में बनाई गई डिस्पेंसरी के संबंध में व्यापक असंतोष व्यक्त किया। उन्होंने आयोग को बताया कि इसमें कोई चिकित्सक नहीं आता और कोई दवा भी नहीं मिलती। उन्हें इलाज कराने काफी दूर जाना पड़ता है। मौके पर मौजूद निगाही परियोजना के मुख्य महा प्रबंधक ने आयोग को आश्वासन दिया कि वे तत्काल कदम उठाकर डिस्पेंसरी चालू करायेंगे।

5) गांव वासियों ने यह भी शिकायत की कि नंदगांव में बसाए गए लोगों के मकानों तक आने जाने हेतु आंतरिक सड़कें और नालियां नहीं हैं जिससे जगह–जगह पानी इकट्ठा हो जाता है। आयोग के अध्यक्ष ने इस संबंध में आवश्यक सुधार करने का निर्देश दिया। लोगों ने बताया कि नगर निगम टैक्स लेता है किन्तु सड़क आदि का विकास न तो नगर निगम करता है और न ही एनसीएल प्रशासन। आयोग ने परियोजना के महा प्रबंधक को निर्देश दिया कि दोनों विभागों में सामंजस्य स्थापित कर सड़क और जल निकासी का प्रबंध किया जाए।

7) कुछ व्यक्तियों ने शिकायत की कि अपने मकान की मरम्मत करने पर एनसीएल की दोनों परियोजनाओं में कार्यरत उनके परिजनों के खिलाफ कार्रवाई प्रारंभ कर दी जाती है। महा प्रबंधक, निगाही परियोजना ने स्पष्ट किया कि मकान की मरम्मत/पुनर्निर्माण में कोई समस्या नहीं है किन्तु यदि कोई इसी प्रकिया में विस्तार करने लगता है तो कंपनी कार्रवाई करती है। आयोग के अध्यक्ष ने निर्देश दिया कि पुराने मकानों की मरम्मत अथवा पुनर्निर्माण में लगे लोगों को परेशान न किया जाए और यदि कोई उसका विस्तार करने लगे तो नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जाए।

8) श्री सुग्रीव बैगा पुत्र श्री अजमेर बैगा जो कि अनुसूचित जनजाति वर्ग के है, ने आयोग को बताया कि उनकी ग्राम बरेवा में स्थित चार एकड़ जमीन एनसीएल द्वारा अधिग्रहित की गई थी किन्तु उस समय वे छोटे थे। किसी भी परिजन को नौकरी नहीं दी गई और परिवार भूमिहीन हो गया। इस पर आयोग ने चिंता जताई और महा प्रबंधक को निर्देश दिया कि इस मामले का तत्काल परीक्षण किया जाए और पात्रतानुसार नौकरी दी जाए। इस संबंध में की गई कार्रवाई की जानकारी आयोग को भी दी जाए।

9) अनुसूचित जनजाति के ही श्री धर्मराज पनिका पुत्र स्वर्गीय सुंदरमल पनिका ने आयोग को बताया कि उनके परिवार के 44 डिसिमल भूमि निगाही परियोजना हेतु अधिग्रहित की गई थी। इसका लगभग 18–19 हजार रू. मुआवजा मिला था। पर नौकरी नहीं मिली। वे लोग भूमिहीन हो गए हैं और मात्र घर ही बचा है। उन्हें तीन चार बार साक्षात्कार पत्र मिला किन्तु एनसीएल द्वारा नौकरी नही दी गई। वर्तमान में वे सरकारी शिक्षक है किन्तु उनके तीन अन्य भाई बेरोजगार हैं जिन्हें नौकरी दी जाए।

बैठक के अंत में आयोग के माननीय अध्यक्ष ने परियोजना एवं जिला प्रशासन के अधिकारियों को परस्पर ताल–मेल के साथ काम करने का सुझाव दिया ताकि नंदगांव में बसाए गए लोगों की समस्याओं का निराकरण किया जा सके।

कार्रवाईः एनसीएल/जिला कलेक्टर, सिंगरौली

Rameshwar Oraon

डा० रामेश्वर उरांव / Dr. RAMESHWAR ORAON
अध्यक्ष / Chairman
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार / Govt. of India
नई दिल्ली / New Delhi

मुडवानी बांध के निकट बसाए गए अनुसूचित जनजाति के बैगा परिवारों से चर्चा:

4.1 आयोग के दल ने दिन में 12.00 बजे मुड़वानी बांध के निकट बसाए गए अनुसूचित जनजाति के बैगा परिवारों से भी उनके पुनर्वास एवं उपलब्ध कराई गई सुविधाओं के संबंध में चर्चा की। गांव के मुखिया सहित बहुत से आदिवासी स्त्री–पुरूष एवं बच्चे वहां स्थित प्राथमिक विद्यालय में एकत्रित हुए । एनसीएल एवं जिला प्रशासन के अधिकारी भी आयोग के साथ थे। बैठक में आयोग को निम्नानुसार जानकारी दी गई:

1) गांव के मुखिया ने बताया कि इस गांव में कुल 62 बैगा परिवार निवासरत हैं। वर्ष 1974 में एन सी एल ने 800/– रूपए प्रति एकड़ की दर से इनकी जमीन ली थी। मकान के एवज में रू. 500/– से लेकर रू. 800/– तक भुगतान किया गया। यह मुआवजा वर्ष 1977 में प्राप्त हुआ। इन परिवारों को मुड़वानी बांध के निकट स्थित इस जगह पर बसाया गया। किसी भी विस्थापित को एनसीएल द्वारा नौकरी नहीं दी गई। उन्हें जमीन का पट्टा भी एनसीएल ने आज तक नहीं दिया है। अब इन परिवारों को पुनः अन्यत्र बसाने की बात एनसीएल के अधिकारी कर रहे हैं क्यों कि इस स्थान को भी एनसीएल द्वारा अधिग्रहित किया गया है । वे इस स्थान से पुनः विस्थापित नहीं होना चाहते। आस–पास की भूमि पर खेती करके वे अपनी गुजर–बसर करते हैं। उन्होंने आयोग से अनुरोध किया कि उन्हें इसी स्थान पर रहने दिया जाए तथा भू–स्वामी का अधिकार प्रदान किया जाए।

2) श्री हिरदै लाल बैगा, श्री राम बरन बैगा, श्री रामदास बैगा आदि ग्रामीणों ने बताया कि कोयला उत्खनन में उनकी भूमि दब गई किन्तु एनसीएल द्वारा उन्हें कोई मुआवजा नहीं दिया गया।

3) आयोग को बताया गया कि गांव में प्राथमिक विद्यालय है तथा इसके बाद की पढ़ाई के लिए बच्चों को देवरी डांड़ जाना पड़ता है जहां हाई स्कूल स्थित है। यह स्थान 5 किलोमीटर दूर है। दूरी की वजह से बच्चे नियमित रूप से विद्यालय नही जा पाते। गांव में स्थित प्राथमिक विद्यालय में 2 शिक्षक एवं 62 बच्चे हैं तथा प्रति दिन औसतन 40–42 बच्चे विद्यालय आते हैं। अतः प्राथमिक विद्यालय का उन्नयन किया जाना चाहिए।

4) गांव के सभी आदिवासी बीपीएल श्रेणी के हैं एवं उन्हें राशन आदि प्राप्त हो रहा है। स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए वे निकटवर्ती कस्बों के निजी चिकित्सकों पर आश्रित हैं । एनसीएल से कोई चिकित्सा सुविधा नहीं मिल पाती। उनके मकानों की मरम्मत कराए जाने की तत्काल आवश्यकता है।

कार्रवाई: कोल इंडिया लि./एनसीएल

आयोग के अध्यक्ष ने एनसीएल एवं जिला प्रशासन के अधिकारियों को निर्देश दिया कि इन परिवारों की उपरोक्त समस्याओं को दूर करने के लिए और अधिक प्रयास करें। एनसीएल दूसरी बार इनका विस्थापन न करें क्योंकि इन परिवारों को पूर्व में ही एक बार विस्थापन किया जा चुका है।

Rameshwar Oraon

डा० रामेश्वर उरांव / Dr. RAMESHWAR ORAON
अध्यक्ष / Chairman
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार / Govt. of India
नई दिल्ली / New Delhi

<u>नार्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, सिंगरौली के प्रबंधन</u> के साथ चर्चा:

4.2 आयोग ने अपरान्ह 15.00 बजे विस्थापितों के पुनर्वास से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर नार्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, सिंगरौली के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ चर्चा की। कंपनी के अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक के प्रवास पर थे। प्रबंधन की ओर से सुश्री शांति लता साहू, निदेशक (पी) श्री एन.दास, निदेशक (तकनीकी/परियोजना एवं योजना), श्री ए.के. पांडे, निदेशक (वित्त), श्री संजीव कुमार निदेशक (पी) एवं कई अन्य वरिष्ठ अधिकारी बैठक में उपस्थित हुए। जिला प्रशासन की ओर से एडीएम, सिंगरौली भी बैठक में उपस्थित हुए। बैठक में आयोग के माननीय अध्यक्ष, सदस्य एवं अधिकारियों का प्रबंधन द्वारा स्वागत किया गया। तदुपरांत कंपनी के कार्यों, प्रगति, क्षेत्राधिकार, उत्पादन एवं राहत तथा पुनर्वास योजनाओं पर एक पावर पाइन्ट प्रस्तुतीकरण किया गया। बैठक में आयोग को निम्नानुसार जानकारी दी गई एवं चर्चा की गई:

1) एनसीएल का गठन वर्ष 1986 सीसीएल से अलग कर किया गया। कंपनी की 6 खदाने म.प्र. में एवं 4 उ. प्र. में हैं। यह कंपनी देश के कुल कोयला उत्पादन का 12 प्रतिशत कोयला उत्पादन करती है तथा देश का 2.6 प्रतिशत आरक्षित भंडार इसके पास है।

2) कंपनी द्वारा समय–समय पर भूमि अधिग्रहण करते समय तत्समय प्रवृत्त कोल इंडिया की राहत एवं पुनर्वास नीति का पालन किया गया है। वर्तमान में कोल इंडिया की राहत एवं पुनर्वास नीति, 2012 लागू है। कंपनी द्वारा कोल बियरिंग एक्ट के तहत भूमि अधिग्रहित की जाती है। बैठक में कोल बियरिंग एक्ट के विभिन्न प्रावधानों के संबंध मे आयोग द्वारा विस्तार से जानकारी ली गई और विस्थापितों के राहत और पुनर्वास के संबंध में इस एक्ट के प्रावधानों का परीक्षण किया गया। इस एक्ट के प्रावधानों के कार्यकरण में निम्नलिखित समस्याएं दिखाई दीं:

क) कोल बियरिंग एक्ट के अंतर्गत वर्ष 1982 में अधिग्रहित भूमि पर उत्खनन अभी तक प्रारंभ नहीं किया गया और न ही किसी को कोई मुआवजा दिया गया। उदाहरण के रूप में अमलोरी परियोजना में अभी तक कोई मुआवजा नही दिया गया जिसकी पुष्टि एडीएम, सिंगरौली ने की। जिस भूमि के अधिग्रहण की अधिसूचना जारी की गई, उस भूमि पर कोई विकास कार्य नहीं किया जाता भले ही वहां पर लोग दशकों तक बसे रहें। सड़क, जल प्रदाय, स्वास्थ्य सुविधाओं, बिजली आदि सभी विकास कार्य रोक दिए जाते हैं। भविष्य में विस्थापित होने के कारण वहां के निवासी भूमि को न तो बंधक रख सकते हैं और न ही बैंकों से उसकी एवज में किसी प्रकार का ऋण प्राप्त कर पाते हैं। निजी क्षेत्र की परियोजना हेतु अधिग्रहण के बाद बसाया गया नंदगांव इसका उदाहरण है। इस प्रकार लंबे समय तक वे सुविधाहीन हो जाते हैं।

ख) कोल बियरिंग एक्ट में भूमि अधिग्रहण के डि–नोटिफिकेशन का प्रावधान नहीं है। यदि किसी अधिग्रहित स्थान पर पर्याप्त मात्रा में कोयला नही निकलता या घटिया श्रेणी का कोयला निकलता है जिसका दोहन आर्थिक रूप से लाभकारी नहीं है तो उस स्थान के भूमि अधिग्रहण के नोटिफिकेशन के बाद पुनः डि–नोटिफिकेशन का प्रावधान किया जाना चाहिए। यही समस्या Moyer extension परियोजना में भी है जहां भूमि अधिग्रहण का नोटिस जारी किया गया था किन्तु अगले कई वर्षों तक परियोजना के आगे बढ़ने की संभावना नहीं है। निजी उद्योगों ने भी एग्रीमेंट करके काफी भूमि ले ली है और यदि परियोजना आगे नहीं बढ़ पाती तो उस क्षेत्र में सारे विकास कार्य रूक जाते हैं अतः अधिग्रहित भूमि के डि–नोटिफिकेशन का प्रावधान सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र की परियोजनाओं में किया जाना चाहिए।

ग) कोयला कंपनियों द्वारा अपनी परियोजनाओं हेतु बाहरी सलाहकारों/गैर सरकारी संगठनों से कराये जाने वाले SIA में गंभीरता की कमी एवं विश्वसनीयता का अभाव है। सेक्शन 7 (1) के समय, जब जमीन ली जा चुकी होती है, तब कंपनियां स्वयं ही SIA कराती हैं, स्वयं ही उसका अनुमोदन करती हैं और स्वयं ही उसे लागू भी करती हैं। अतः अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों के अनुरूप SIA नीति का standardization किया जाना चाहिए। SIA भूमि अधिग्रहण से पूर्व ही कराया जाना चाहिए। विस्थापित होने वाले लोगों को भी इस प्रक्रिया में शामिल किया जाना चाहिए।

Rameshwar Oraon

डा० रामेश्वर उरांव / Dr. RAMESHWAR ORAON
अध्यक्ष / Chairman
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार / Govt. of India
नई दिल्ली / New Delhi

घ) कोयले से मिलने वाली रॉयल्टी का कम से कम एक प्रतिशत हिस्सा पुनर्वास स्थलों के विकास पर व्यय किया जाना चाहिए।

ड़) उत्खनन कार्य पूर्ण होने के बाद भूमि reclaim कर मूल भूस्वामियों को लौटा दी जानी चाहिए। यह प्रावधान वर्ष 2002 की कोल इंडिया की राहत एवं पुनर्वास नीति में नहीं था। वर्ष 2012 की नीति में 5 लाख रू. प्रति एकड़ मुआवजा एवं नौकरी का प्रावधान किया गया है।

3) बैठक में एनसीएल प्रबंधन द्वारा अवगत कराया गया कि कंपनी की विभिन्न परियोजनाओं में विस्थापित होने वाले परिवारों की संख्या 8643 हैं जिनमें से 3975 नौकरी की पात्रता रखते हैं। कुल 4097 विस्थापितों को नौकरी दी गई है जिनमें 428 अनुसूचित जनजाति वर्ग से हैं। आयोग ने ग्राम बरेवा से विस्थापित श्री सुग्रीव बैगा पुत्र श्री अजमेर बैगा को नौकरी देने के प्रकरण का उल्लेख किया जिनकी 4 एकड़ जमीन अधिग्रहित की गई थी किन्तु पात्रता के बावजूद किसी भी परिजन को नौकरी नहीं दी गई। इसी प्रकार जयन्त परियोजना में कार्यरत रहते हुए मृत श्री छोटेलाल खैरवार के पुत्र श्री रामबलि खैरवार की अनुकम्पा नियुक्ति के मामले में शीध्र कार्रवाई की आवश्यकता बताई और इन प्रकरणों का निराकरण करते हुए आयोग को रिपोर्ट देने का निर्देश दिया ।

4) आयोग ने नंदगांव पुनर्वास स्थल पर पेयजल, स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार तथा आंतरिक सड़कों के निर्माण का कार्य प्राथमिकता से करने, सब बच्चों को शिक्षा का अधिकार प्रदान करने के लिए विद्यालय के विस्तार एवं घरों में शौचालयों के निर्माण की मुहिम चलाने का निर्देश दिया। उन्होंने मुड़वानी बांध के पास निवासरत बैगा परिवारों के मकानों की मरम्मत कराने एवं उन्हें दूसरी बार विस्थापित न करने का भी निर्देश दिया।

कार्रवाईः कोयला मंत्रालय/कोल इंडिया लि./एनसीएल

CISTEA के पदाधिकारियों के साथ बैठक

4.3 आयोग ने अपरान्ह 16.30 बजे CISTEA के पदाधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक के प्रारंभ में श्री परमहंस प्रसाद, राष्ट्रीय महासचिव ने आयोग के माननीय अध्यक्ष, सदस्य एवं अधिकारियों का स्वागत किया। बैठक में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के संपर्क अधिकारी भी उपस्थित थे। तदुपरांत आयोग के निर्देश पर उन्होंने निम्नलिखित बिन्दु आयोग के समक्ष रखेः

1) कोल इंडिया लिमिटेड मुख्यालय सहित सभी अनुषंगी कंपनियों में सिस्टा संगठन से त्रैमासिक वार्ता की जाती है तथा बैठक के बाद मिनिट्स भी जारी किए जाते हैं किन्तु बैठक में लिए गए निर्णयों पर कार्रवाई नही की जाती। अतः बैठक में लिए गए निर्णयों पर प्रभावी एवं समयबद्व कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। एनसीएल एवं इसके अधीन परियोजनाओं में प्रत्येक तिमाही में सिस्टा संगठन के साथ बैठक का आयोजन नहीं किया जा रहा है। इन बैठकों का आयोजन भी सुनिश्चित किया जाए तथा सिस्टा के सदस्यों के वेतन से सदस्यता राशि की कटौती की जाए।

2) एनसीएल की बीना परियोजना में बने स्टेडियम का नामकरण डा. भीमराव अम्बेड़कर के नाम पर किए जाने का निर्णय एनसीएल द्वारा लिया गया था तथापि आज तक नामकरण नही किया गया है। एनसीएल द्वारा पूर्व में लिए गए निर्णय के अनुसार कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

3) एनसीएल की जयंत परियोजना में नव निर्मित पार्क का नाम भगवान बिरसा मुडा के नाम पर रखने और उनकी प्रतिमा पार्क के सामने लगवाने की मांग की गई थी। परियोजना द्वारा इस संबंध में कोई कार्रवाई नही की जा रही है।

Rameshwar Oraon

डा० रामेश्वर उरांव / Dr. RAMESHWAR ORAON
अध्यक्ष / Chairman
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार / Govt. of India
नई दिल्ली / New Delhi

4) कोल इंडिया में 5 कर्मचारी यूनियन हैं जिन्हें सभी समितियों में प्रतिनिधित्व दिया जाता है। यह संगठन अजा/अजजा वर्ग की समस्याओं को बैठकों में नही उठाते और न ही चर्चा करते हैं। कंपनी में इस वर्ग का प्रतिनिधित्व केवल सिस्टा ही करती है जिसे जेबीसीसीआई, जेसीसी, आवास, कल्याण आदि समितियों प्रतिनिधित्व नहीं दिया जाता। अतः सिस्टा के पदाधिकारियों को भी इन समितियों में सम्मिलित किया जाना चाहिए ताकि कंपनी की विभिन्न गतिविधियों में इन वर्गों को उचित प्रतिनिधित्व प्राप्त हो सके।

5) अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की पदस्थापना तथा स्थानांतरण में भेद–भाव किया जाता है। स्थानांतरण होने पर सामान्य वर्ग के कर्मचारियों को रिलीव नही किया जाता और अजा/अजजा वर्ग के कर्मचारियों को तुरंत रिलीव कर दिया जाता है।

6) कंपनी में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के प्रकोष्ठ को सबल और सशक्त बनाया जाए और वहां पर सक्षम अधिकारी तथा कम से कम दो सहायकों सहित कम्प्यूटर एवं टेलीफोन इत्यादि की सुविधा मुहैया कराया जाए। संपर्क अधिकारी को बहुत सी जिम्मेदारियां न दी जाए ताकि वे संपर्क अधिकारी के अपने कार्य पर पर्याप्त ध्यान दे सकें।

7) कोल इंडिया एवं कंपनी स्तर पर विभिन्न प्रशिक्षणों के लिए विदेश में भेजे जाने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का प्रतिनिधित्व नगण्य है। प्रशिक्षण पर भेजे जाने वाले लोगों में से कम से कम 25 प्रतिशत प्रतिनिधित्व इन वर्गों को दिया जाना चाहिए ताकि इनका बौद्विक, कौशल एवं प्रशासनिक विकास हो सके। इस संबंध में भारत सरकार के निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए।

8) सीएसआर के अंतर्गत सीआईएल, सीएसआर नीति के अनुसार कंपनी के अर्जित लाभ का 5 प्रतिशत सीएसआर निधि के बजट में आवंटित किया जाता है जिसमें से 15 प्रतिशत अनुसूचित जाति एवं 8 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति के लिए निर्धारित है। अजा/अजजा बाहुल्य ग्राम, जो कि कंपनी की परियोजना/ इकाई से 8 या 15 कि.मी. की परिधि में आते हैं, में भू विस्थापितों/ग्रामीणों की मूलभूत आवश्यकताओं यथा–पेयजल की व्यवस्था, स्वास्थ्य सुविधाएं, संपर्क मार्ग, विद्यालय, पंचायत भवन, सामुदायिक भवन, खेल के मैदान आदि उपलब्ध कराने एवं बीपीएल सूची के अंतर्गत आने वाले ग्रामीणों के लिए स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण की व्यवस्था के लिए बजट आवंटित किया जाना चाहिए। इस प्रकार कंपनी के पास उपलब्ध राशि का उपयोग इन वर्गों के उत्थान के लिए किया जाना चाहिए जो कि वर्तमान में नहीं किया जा रहा है। सीएसआर की गतिविधियों में सिस्टा को भी शामिल किया जाना चाहिए।

9) कंपनी द्वारा आर एन्ड आर नीति में अजा/अजजा के भूमि विस्थापितों, जिनकी जमीनें कंपनी द्वारा अधिग्रहित की गई हैं उनके लिए नौकरी में सामान्य वर्ग के लोगों की तुलना में कोई छूट नहीं दी जा रही है जबकि वे सामाजिक रूप से सबसे कमजोर है। कंपनी द्वारा पूर्व में इन वर्गों के लोगों हेतु विशेष प्रावधान करते हुए ऐसे व्यक्तियों को भी नौकरी प्रदान की गई थी जिनकी केवल 2 डिसमिल भूमि अधिग्रहित की गई थी जबकि सामान्य वर्ग के उन्हीं लोगों को नौकरी दी गई थी जिनकी 50 डिसमिल या उससे अधिक भूमि ली गई थी। किन्तु वर्तमान नीति में नौकरी पाने के लिए इसे एक समान करते हुए सभी के लिए दो एकड़ कर दिया गया है जो कि अजा/अजजा के लिए परेशानी का कारण बन रही है जिन्हें विशेष संरक्षण की आवश्यकता है।

10) कोल इंडिया एवं अनुषंगी कंपनियों में आरक्षण नियमों की जानकारी हेतु विशेष संस्थानों में प्रशिक्षण हेतु सिस्टा के पदाधिकारियों को भेजा जाना चाहिए। इस संबंध में शीघ्र कार्रवाई की जाए।

कार्रवाईः कोल इंडिया लि./एनसीएल

आयोग के माननीय अध्यक्ष ने कहा कि कोल इंडिया एवं एनसीएल के विकास में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अधिकारियों/ कर्मचारियों की भागीदारी बहुत महत्वपूर्ण हैं तथा कंपनी को भी इन वर्गों के अधिकारियों/कर्मचारियों के प्रति संवेदनशील होना चाहिए तथा उनके कौशल विकास को बढ़ावा देना

डा० रामेश्वर उराव / Dr. RAMESHWAR ORAON
अध्यक्ष / Chairman
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार / Govt. of India
नई दिल्ली / New Delhi

चाहिए। अतः सिस्टा द्वारा बताए गए उपरोक्त मामलों पर गंभीरता पूर्वक विचार किया जाए एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के संपर्क अधिकारी इन बिन्दुओं पर की गई कार्रवाई और लिए गए निर्णयों के संबंध में एक प्रतिवेदन आयोग को एक माह के भीतर उपलब्ध कराएं।

13–9–2012

मझिगवॉ–2 पुनर्वास स्थल का दौरा

5.0 आयोग ने प्रातः 10.00 बजे मझिगवॉ–2 पुनर्वास स्थल जाकर वहां स्थित सरस्वती शिशु मंदिर में विस्थापित परिवारों के साथ बैठक की जिन्हें निजी क्षेत्र की महान अल्युमिनियम और कैप्टिव थर्मल पावर परियोजना हेतु भूमि अधिग्रहण के बाद वहां बसाया गया है। अधिकारियों ने आयोग को बताया कि यहां पर बरैनिया, ढ़ौढ़र आदि गांवों के विस्थापितों को बसाया गया हैं। परियोजना प्रभावित 1628 परिवारों में से 238 परिवार अनुसूचित जनजाति के हैं जिनमें से 181 को रोजगार दिया गया है। कुल मिलाकर 1229 लोगों को रोजगार दिया गया है। 45 प्रतिशत लोगों को नियमित तथा शेष को ठेकेदार के माध्यम से रोजगार दिया गया है। परियोजना प्रभावितों द्वारा आयोग को निम्नानुसार जानकारी दी गईः

1) श्री रामविलास ने बताया कि उनकी 3 एकड़ भूमि अधिग्रहित की गई थी जिसका मुआवजा रू. 96,000/– प्रति एकड़ की दर से दिया गया। उन्हें नौकरी भी मिली। 60 साल से ऊपर के व्यक्तियों को रू. 1000/– प्रति माह पेंशन मिलती है। 60 वर्ष से कम के सभी लोगों को ठेकेदार के माध्यम से रोजगार दिया गया है तथा कंपनी द्वारा केवल दक्ष लोगों को सीधा रोजगार दिया जाएगा। जब कंपनी में निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा तो ठेकेदार के माध्यम से काम कर रहे लोग बेरोजगार हो जाएंगे। यही सबसे बड़ी समस्या है। अतः स्थाई नौकरी की व्यवस्था की जानी चाहिए। कंपनी द्वारा मकान, बिजली, पानी, अस्पताल आदि उपलब्ध कराया गया है तथा परिवार के सभी सदस्यों को विस्थापित कार्ड भी दिया गया है। कंपनी की 3 बसें हैं जो कर्मचारियों को कार्यस्थल तक ले जाती है।

2) ग्रम बरेनिया से विस्थापित अनुसूचित जनजाति के श्री रामगरीब पनिका ने बताया कि कंपनी द्वारा उन्हें भी भूमि के बदले नकद मुआवजे का भुगतान किया गया है तथा 30 से 40 प्रतिशत सोलेशियम भी दिया गया है। अधिग्रहित भूमि के लिए उन्हें रू. 96,000/– प्रति एकड़ की दर से मुआवजा दिया गया जबकि उन्होंने दो वर्ष बाद ही प्लांट के सामने रू. 2.50 लाख प्रति एकड़ के भाव से जमीन खरीदी जिसे सुधार करके कृषि योग्य बनाना है। उन्होंने बताया कि यदि भूमि के बदले उन्हें अन्यत्र उतनी ही भूमि दे दी गई होती तो उचित होता। उन्होंने अपने घर के साथ पशुओं हेतु शेड बनवाया है। कंपनी द्वारा आंगनवाड़ी एवं स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं।

3) श्री रामविचार ने आयोग से चर्चा में मांग की कि गांव के बेरोजगार युवकों को रोजगार उपलब्ध कराया जाए। उन्होंने बताया कि पुनर्वास स्थल पर डिस्पेंसरी बने दो साल हो गए हैं और वहां डॉक्टर नही बैठते। रोगियों को लेकर बैढ़न अथवा विंध्य नगर जाना पड़ता है। उन्होंने बताया कि कंपनी द्वारा पुनर्वास स्थल पर 4 एकड़ भूमि चारागाह के लिए छोड़ी गई है किन्तु वह कहां है यह किसी को नही मालूम। इसी प्रकार श्मशान, खेल के मैदान आदि के लिए कौन सी भूमि सुरक्षित की गई है यह ज्ञात नहीं है। आयोग के अध्यक्ष ने निर्देश दिया कि उक्त सभी सामुदायिक स्थलों पर बोर्ड लगाए जाएं। उन्होंने डॉक्टरों की अनुपलब्धता को बहुत गंभीरता से लिया और कहा कि ग्रामीणों द्वारा इलाज पर व्यय की गई राशि का भुगतान कंपनी द्वारा किया जाना चाहिए क्योंकि उसने विस्थापित परिवारों को यह सुविधा उपलब्ध नहीं कराई।

4) श्रीमती मंदिरिया ने बताया कि उनकी 50 डिसिमिल भूमि अधिग्रहित की गई थी और पति को नौकरी नही मिली इसलिए वे मिट्टी खोदने का कार्य मजदूरी पर करते है। उन्होंने स्वयं को आवंटित मकान संख्या 37 के स्थान पर मकान नं. 120 दिए जाने का अनुरोध किया।

Rameshwar Oraon

डा० रामेश्वर उरांव / Dr. RAMESHWAR ORAON
अध्यक्ष / Chairman
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार / Govt. of India
नई दिल्ली / New Delhi

5) श्री जयकुमार ने बताया कि उनका पुत्र दीपक कुमार टी.बी. से पीड़ित है। उसे सरकारी दवा मिलती है। उन्होंने पुनर्वास स्थल पर डॉक्टर उपलब्ध न होने की शिकायत की। नियमानुसार कंपनी को इस स्थान पर बसाने से पूर्व यह सुविधा उपलब्ध करानी चाहिए थी।

6) श्री लछनधारी नाई ने बताया कि उन्हें आवास दिया गया है किन्तु घर में दरवाजा ही नही है। उन्होंने उसे शीध्र ही लगवाने का अनुरोध किया ।

7) सरस्वती शिशु मंदिर के प्राचार्य ने बताया कि उनके विद्यालय में 12 अध्यापक कार्यरत हैं और कुल मिलाकर 364 बच्चे अध्ययनरत हैं। कंपनी द्वारा विद्यार्थियों को यूनिफार्म उपलब्ध कराया जाना था किन्तु उसने यह कार्य नही कराया। विद्यालय में कक्षा एक से ही अंग्रेजी पढ़ाई जाती है। निजी विद्यालय होने के कारण विद्यालय में मध्यान्ह भोजन की व्यवस्था नही है।

कार्रवाईः जिला कलेक्टर, सिंगरौली

परियोजना प्रभावित परिवारों से हुई चर्चा के आधार पर आयोग के माननीय अध्यक्ष ने वहां मौजूद जिला प्रशासन के अधिकारियों को निर्देश दिया कि यहां निवासरत लोगों की समस्याओं का तत्काल समाधान किया जाए।

एनटीपीसी, विन्ध्याचल सुपर थर्मल पांवर स्टेशन, सिंगरौली के अनु.जाति/अनु.जनजाति अधिकारी/कर्मचारी कल्याण संघ के पदाधिकारियों के साथ बैठक ।

5.1 आयोग ने अपरान्ह 14.15 बजे एनटीपीसी, विन्ध्याचल सुपर थर्मल पांवर स्टेशन, सिंगरौली के अनु. जाति/अनु.जनजाति अधिकारी/कर्मचारी कल्याण संघ के पदाधिकारियों के साथ उनकी समस्याओं को जानने हेतु बैठक की । बैठक में अनु.जाति/अनु.जनजाति हेतु संपर्क अधिकारी भी मौजूद थे। बैठक में आयोग को जानकारी दी गई कि सामान्यतः इस इकाई में अनु. जाति/अनु. जनजाति के अधिकारियों और कर्मचारियों को कार्यस्थल पर कोई विशेष समस्या नही है तथापि निम्नलिखित बिन्दुओं पर एनटीपीसी द्वारा तत्काल कार्रवाई की जानी चाहिएः

1) विदेशों में तकनीकी कौशल एवं दक्षता बढ़ाने हेतु दिए जाने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रम पर भेजे जाने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग का आनुपातिक प्रतिनिधित्व होना चाहिए।

2) कंपनी द्वारा पूर्व में आई टी आई सर्टिफिकेट धारियों को नीचे के पदों पर नियुक्त किया जाता था जिससे अजा/अजजा. वर्ग के कुछ कर्मचारी नौकरी पा जाते थे। वर्तमान में केवल डिप्लोमा धारी या इजीनियर ही आ रहे हैं। इस स्तर पर इन वर्गों के कम अभ्यर्थी मिलते हैं। निचले स्तर की नौकरियां आउटसोर्स भी की जा रही हैं। अतः आई टी आई से प्रवेश होना शुरू किया जाना चाहिए।

3) कई कर्मचारियों ने बताया कि नवजीवन विहार के सेक्टर 4 में 8 दिन से पानी नही आ रहा है और बिजली भी नही है। शिकायत करने के बाद भी कोई सुधार नही हुआ। यह कालोनी नगर निगम क्षेत्र में स्थित है। पानी एनटीपीसी द्वारा दिया जाता है जबकि बिजली राज्य सरकार की पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी देती है। दोनों की लापरवाही से रहवासी परेशान हो रहे हैं।

4) बैठक में कर्मचारियों ने आवास, चिकित्सा सुविधाओं, शिक्षा आदि की व्यवस्थाओं पर संतोष व्यक्त किया। कुछ कर्मचारियों ने विद्यार्थियों को बैंक एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण की सुविधा उपलब्ध कराने का अनुरोध किया ताकि उनके बच्चों को रोजगार के अवसर उपलब्ध हो सकें।

कार्रवाईः एनटीपीसी/ जिला कलेक्टर, सिंगरौली

आयोग के अध्यक्ष ने एनटीपीसी और जिला प्रशासन के अधिकारियों को उपरोक्त समस्याओं के संबंध में आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया।

Rameshwar Oraon

डा० रामेश्वर उरांव / Dr. RAMESHWAR ORAON
अध्यक्ष / Chairman
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार / Govt. of India
नई दिल्ली / New Delhi

एनटीपीसी, विन्ध्याचल सुपर थर्मल पांवर स्टेशन, सिंगरौली के प्रबंधन के साथ परियोजना प्रभावित परिवारों के पुनर्वास एवं कर्मचारियों की समस्याओं पर बैठक।

5.2 आयोग ने अपरान्ह 15.00 बजे एनटीपीसी, विन्ध्याचल सुपर थर्मल पांवर स्टेशन, सिंगरौली के महा प्रबंधक एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ कर्मचारियों की समस्याओं एवं परियोजना प्रभावित परिवारों के पुनर्वास से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की। बैठक के प्रारंभ में आयोग के माननीय अध्यक्ष, सदस्य एवं अधिकारियों का स्वागत किया गया तत्पश्चात एनटीपीसी एवं विन्ध्याचल सुपर थर्मल पांवर स्टेशन, सिंगरौली की इकाई के बारे में पावर पाइन्ट प्रस्तुतिकरण के माध्यम से जानकारी दी गई। आयोग को बताया गया कि विन्ध्याचल इकाई की अनुमोदित क्षमता 4760 मेगा वॉट विद्युत उत्पादन की है तथा इसके लिए वर्ष 2015 तक का लक्ष्य रखा गया है। वर्तमान में 210 मेगा वॉट की 6 यूनिट कार्य कर रही है एवं 500 मेगा वॉट की 2 यूनिटों पर निर्माण कार्य चल रहा है। यह इकाई 5872 एकड़ क्षेत्र पर फैली है और प्रति दिन 180 क्यूसेक पानी का उपयोग किया जाता है। पावर पाइन्ट प्रस्तुतिकरण के बाद बैठक में निम्नलिखित बिन्दुओं पर चर्चा हुई:

1) आयोग को अवगत कराया गया कि इकाई में 242 परियोजना प्रभावित लोगों को स्थाई नियुक्ति दी गई है। परियोजना प्रभावित लोगों की सोसाइटियों के माध्यम से 2109 लोगों और उनके ठेकेदारों के माध्यम से 54 प्रभावितों को नौकरियां दी गई हैं। इसके अलावा 44 प्रभावितों को दुकानें भी आवंटित की गई हैं।

2) आयोग ने अजा/अजजा. कर्मचारियों से हुई चर्चा के आधार पर नवजीवन विहार कालोनी के सेक्टर 4 में बिजली व पानी की समस्या का समाधान करने का निर्देश दिया। प्रबंधन ने शीध्र ही इन समस्याओं को दूर करने का आश्वासन दिया।

3) आयोग ने अजा/अजजा. वर्ग के अधिकारियों/कर्मचारियों को विदेशों में प्रशिक्षण देने में उचित प्रतिनिधित्व दिए जाने का उल्लेख भी किया। इस संबंध में निर्णय एनटीपीसी के मुख्यालय द्वारा लिया जा सकता है। कर्मचारियों के बच्चों को प्रतियोगी परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण दिए जाने के संबंध में आई मांग का उल्लेख करने पर प्रबंधन ने इस पर विचार कर सकारात्मक निर्णय लेने पर सहमति व्यक्त की। आयोग ने कहा कि यह हर्ष का विषय है कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग के कर्मचारियों को सामान्यतः किसी प्रकार की शिकायत नहीं थी एवं उनकी मांगें विकास कार्यों से ही संबंधित थीं।

4) आयोग ने पाया कि इस इकाई में कुल 1613 अधिकारी/कर्मचारी कार्यरत हैं जिनमें से 166 (10.3 प्रतिशत) अनुसूचित जनजाति के हैं। Executive श्रेणी में 719 अधिकारी हैं जिनमें से 35 (5 प्रतिशत) अनुसूचित जनजाति के हैं जबकि Non- Executive श्रेणी में कुल 894 कर्मचारी हैं जिनमें 131 (13 प्रतिशत) अनुसूचित जनजाति के हैं। आयोग ने सभी श्रेणियों में रोस्टरों के नियमानुसार रख–रखाव एवं आरक्षण संबंधी प्रावधानों का तत्परता से पालन किए जाने का निर्देश दिया।

5) आयोग ने इकाई में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग के कर्मचारियों की समस्याओं के समाधान हेतु शिकायत निवारण तंत्र की स्थापना करने एवं उसे कंपनी की वेबसाइट पर दर्शाने का सुझाव दिया ताकि आरक्षण संबंधी रोस्टरों को भी कंपनी की वेबसाइट पर प्रदर्शित करने का निर्देश दिया ताकि पारदर्शिता बनी रहे।

6) आयोग ने भूमि अधिग्रहण के मामलों में मुआवजा देने में अनुसूचित जनजाति के प्रभावितों को ज्यादा लाभ देने की बात कही क्योंकि इस वर्ग के लोग ही भूमिहीनता से सर्वाधिक प्रभावित होते है और गृह विहीन हो जाते हैं। अतः राहत और पुनर्वास पैकेज में अनु. जनजातियों हेतु विशेष प्रावधान होने चाहिए ताकि विकास की दौड़ में वे पीछे न छूट जाएं।

7) आयोग ने परियोजना हेतु SIA के बारे में विस्तार से जानकारी ली । पूछे जाने पर आयोग को बताया गया कि परियोजना के चौथे चरण हेतु SIA सेक्शन 4 के अंतर्गत नोटिफिकेशन से पूर्व किया गया था। आयोग ने पारदर्शिता के साथ SIA किए जाने की आवश्यकता बताई और कहा कि इसके द्वारा परियोजना के

Rameshwar Oraon

डा० रामेश्वर उरांव / Dr. RAMESHWAR ORAON
अध्यक्ष / Chairman
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार / Govt. of India
नई दिल्ली / New Delhi

सामाजिक–आर्थिक प्रभावों का संपूर्ण आकलन किया जा सकता है। अतः SIA में पूरी गंभीरता दिखाई जानी चाहिए।

कार्रवाईः एनटीपीसी/ जिला कलेक्टर, सिंगरौली

बैठक के अंत में इकाई के महा प्रबंधक ने आयोग के माननीय अध्यक्ष, सदस्य एवं अधिकारियों को धन्यवाद दिया और आश्वासन दिया कि विभिन्न सुझावों पर गंभीरतापूर्वक विचार करते हुए कार्रवाई की जाएगी।

भूमि अधिग्रहण एवं परियोजना प्रभावित परिवारों को राहत तथा पुनर्वास पर जिला स्तरीय बैठक

5.3 आयोग ने अपरान्हः 16.00 बजे जिला कलेक्टर, सिंगरौली एवं जिले के अन्य अधिकारियों के साथ भूमि अधिग्रहण एवं परियोजना प्रभावित परिवारों को राहत तथा पुनर्वास से जुड़े विभिन्न विषयों पर बैठक की। आयोग नें निम्नलिखित बिन्दुओं पर जानकारी ली एवं विस्तार से चर्चा कीः

1) आयोग ने यह जानना चाहा कि सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों जैसे एनसीएल एवं एनटीपीसी की परियोजनाओं हेतु भूमि का अधिग्रहण निश्चित रूप से जनहित माना जाएगा क्योंकि इनमें सरकारी पूंजी लगी है एवं इनके द्वारा किया गया कोयले अथवा बिजली का उत्पादन सरकार को आय प्रदान करता है। किन्तु निजी क्षेत्र की कंपनियों की स्थापना हेतु किया गया भूमि का अधिग्रहण किस प्रकार जनहित में किया गया कार्य माना जाए जबकि इन कंपनियों का उद्देश्य अपने उत्पाद को बेचकर लाभ कमाना है। जिला कलेक्टर ने कहा कि जनहित में किए गए कार्यों की अलग–अलग व्याख्या होती है तथा इसे परिभाषित नहीं किया गया है। उनके जिले में निजी उद्योगों की स्थापना के लिए किए गए भूमि अधिग्रहण को जनहित में इसलिए माना जा सकता है क्योंकि बिजली की कमी का सामना कर रहे राज्य में ये उद्योग एक लंबी अवधि तक सरकार को काफी कम दर पर बिजली उपलब्ध कराएंगे। बिजली और कोयला राज्य के विकास हेतु महत्वपूर्ण उत्पाद है और राज्य सरकार इसी मंशा से सिंगरौली जिले को देश में विद्युत उत्पादन के अग्रणी जिले के रूप में विकसित कर रही है।

2) आयोग ने यह भी जानना चाहा कि परियोजना पूर्ण होने के बाद यदि निजी कंपनियां लागत न निकलने एवं हानि बताकर सरकार को तय की गई रियायती दर बिजली देने से इंकार कर दें तो क्या होगा। इस पर आयोग को बताया गया कि ऐसी स्थिति में कंपनी के विरूद्व न्यायालय में कार्रवाई करनी होगी।

3) निजी उद्योगों द्वारा परियोजना प्रभावित परिवारों के राहत एवं पुनर्वास पैकेज को लागू करने एवं उसकी मॉनिटरिंग करने की जिम्मेदारी कौन निभाएगा तथा कंपनियों द्वारा पैकेज को आंशिक या पूर्णतः लागू न करने की स्थिति में क्या किया जा सकता है, इस विषय पर भी आयोग ने चर्चा की। आयोग ने मझिगवां–2 पुनर्वास स्थल में लोगों से चर्चा के आधार पर बताया कि वहां डिस्पेंसरी में दो वर्षों से चिकित्सक नहीं है तथा लोगों को इलाज के लिए निकटवर्ती कस्बों तक जाना पड़ता है। क्या संबंधित कंपनी ग्रामीणों को इसकी क्षतिपूर्ति करेगी ? आयोग को बताया गया कि निजी उद्योगों के साथ पूर्व में किए गए अनुबंधों में औपचारिक रूप से कोई अधिकारी राहत एवं पुनर्वास प्रशासक नहीं बनाया गया है तथा शिकायत आने पर जिला कलेक्टर ही यह कार्य करते हैं। नए अनुबंधों में जिला कलेक्टर को औपचारिक रूप से राहत एवं पुनर्वास कार्यों हेतु प्रशासक घोषित करने का प्रावधान किया गया है।

4) बैठक में जिला कलेक्टर ने स्वीकार किया कि पुराने अनुबंधों की कमियों तथा राहत एवं पुनर्वास से संबंधित शिकायतों की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए बाद में किए गए अनुबंधों में अनेक बंधनकारी प्रावधान जोड़े गए हैं। नए अनुबंधों के अनुसार कंपनियों से बैंक गारंटी ली जा रही है ताकि यदि वे सड़क, बिजली, यातायात, अस्पताल, स्कूल आदि विकास कार्य नहीं करतीं तो बैंक गारंटी जब्त की जा सकेगी एवं उससे ये सुविधाएं प्रदान की सकेंगी। आयोग ने सुझाव दिया कि पुनर्वास स्थलों पर स्थित भूमि को जिन कार्यों के लिए चिन्हित किया गया है, वहां सूचना बोर्ड भी लगाए जाने चाहिए ताकि लोगों को इसकी जानकारी हो। उदाहरण के लिए मझिगवां–2 पुनर्वास स्थल पर लोगों को चारागाह, श्मशान, खेल के मैदान आदि होने की जानकारी तक नहीं है।

Rameshwar Oraon

डा० रामेश्वर उरांव / Dr. RAMESHWAR ORAON
अध्यक्ष / Chairman
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार / Govt. of India
नई दिल्ली / New Delhi

5) आयोग ने कहा कि राज्य सरकार की आदर्श राहत एवं पुनर्वास नीति, 2002 में 50 करोड़ रू. राशि का एक राज्यस्तरीय विकास फंड रखा गया है ताकि राहत एवं पुनर्वास में यदि कोई समस्या या कमी दिखती है तो उक्त फंड का इस्तेमाल किया जा सके। जिला कलेक्टर ने कहा कि यह फंड ऐसे विस्थापितों के लिए है जिन्हें अन्य तरीकों से राहत एवं पुनर्वास पैकेज का लाभ देना संभव नहीं होता। इस पर आयोग के माननीय अध्यक्ष ने कहा कि ऐसी स्थिति में जिला कलेक्टर के रूप में उन्हें राज्य से इस फंड में से राशि उपलब्ध कराने की पहल करनी होगी।

6) आयोग ने अनुसूचित जनजातियों की भूमि के हस्तांतरण की प्रकिया की जानकारी भी चाही क्योंकि मध्य प्रदेश भू–राजस्व संहिता के प्रावधानों के तहत उनकी भूमि का हस्तांतरण गैर आदिवासी को नही किया जा सकता और इस संबंध में जिला कलेक्टर के माध्यम से एक प्रकिया निर्धारित की गई है। जिला कलेक्टर ने बताया कि जनहित में राज्य सरकार भूमि अधिग्रहण करती है तथा उसे विभिन्न कंपनियों को हस्तांतरित करती हैं।

7) आयोग ने कहा कि भूमि अधिग्रहण की अधिसूचना जारी करने से पूर्व SIA करके उसे अनुमोदित किया जाना चाहिए। अधिग्रहित भूमि के लिए दिया गया मुआवजा भी अलग–अलग परियोजनाओं में अलग–अलग है। आयोग ने भूमि अधिग्रहण की स्थिति में आदिवासियों के लिए विशेष प्रावधान करने की आवश्यकता जताई क्योंकि भूमिहीन होने के बाद वे ही सबसे अधिक प्रभावित होते हैं । उन्हें भूमि के बदले में दूसरे समुदायों की तुलना में अधिक मुआवजा दिया जाना चाहिए। आयोग ने राहत एवं पुनर्वास पैकेज में परियोजना प्रभावित परिवारों को परियोजना से होने वाले लाभ में भागीदारी देने संबंधी प्रावधान जोड़ने का सुझाव भी दिया।

8) आयोग ने सुझाव दिया कि पूर्व में जो अनुबंध किए गए थे, उनमें कमियां परिलक्षित होने पर पूरक अनुबंध भी किए जा सकते हैं। साथ ही यह भी कहा कि विस्थापितों को पुनर्वास स्थल पर सामाजिक सुरक्षा की अन्य योजनाओं का पात्रतानुसार लाभ सुनिश्चित किया जाना चाहिए जैसे विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन आदि। आयोग ने ऐसे परियोजना प्रभावितों पर विशेष ध्यान देने का सुझाव दिया जिनमें महिलाएं परिवार के प्रमुख हों। साथ ही यह भी कहा कि भूमि अधिग्रहण होने पर मुआवजा उन्हीं लोगों को दिया जाना चाहिए जिनके पास कम से कम विगत तीन वर्षों से भूमि का मालिकाना हक रहा हो अन्यथा बिचौलिए लाभ ले जाते हैं। आयोग ने ऐसे लोगों को अधिक दर पर मुआवजा दिए जाने का सुझाव दिया जिनका एक से अधिक बार विस्थापन हुआ हो। साथ ही अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के विस्थापित लोगों और उनके बच्चों को जाति प्रमाण पत्र जारी करने को कहा ताकि वे अपने पुराने गांव से नए पुनर्वास स्थल पर जाकर बसने के बाद अपनी पहचान न खो दें और इन वर्गों को प्राप्त होने वाले सभी लाभ उन्हें प्राप्त होते रहें।

कार्रवाईः म.प्र. शासन/ जिला कलेक्टर, सिंगरौली

बैठक के अंत में जिला कलेक्टर ने आयोग के दल को धन्यवाद दिया।

14–9–2012

6.0 आयोग का दल प्रातः 8.30 बजे सड़क मार्ग से सिंगरौली से अनूपपुर के लिए रवाना हुआ और सीधी, ब्यौहारी एवं शहड़ोल होते हुए रात 8.30 बजे अनूपपुर पहुंचा।

Rameshwar Oraon

डा० रामेश्वर उरांव / Dr. RAMESHWAR ORAON
अध्यक्ष / Chairman
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार / Govt. of India
नई दिल्ली / New Delhi

परियोजना प्रभावित परिवारों के पुनर्वास से संबंधित समस्याओं को जानने के लिए जैतहरी, जिला अनूपपुर का स्थलीय दौरा।

7.0 आयोग का दल प्रातः 8.00 बजे अनूपपुर जिला मुख्यालय से रवाना होकर लगभग 9.00 बजे जैतहरी ब्लॉक के लहरपुर (मुर्रा टोला) गांव स्थित शासकीय प्राथमिक विद्यालय पहुंचा जहां निजी क्षेत्र के मोजर वेयर पावर प्लांट का निर्माण किया जा रहा है। श्री आशीष उपाध्याय, आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग, मध्य प्रदेश शासन, जिला कलेक्टर, अनूपपुर एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी आयोग के साथ वहां पहुंचे। आयोग को श्री बिसाहू लाल सिंह, माननीय विधायक (पूर्व मंत्री), जिला अनूपपुर ने शिकायत भेजी थी जिसमें निजी क्षेत्र की मोजर वेयर कंपनी के पावर प्लांट के निर्माण हेतु राज्य सरकार द्वारा किए गए भूमि अधिग्रहण में ग्राम सभा की सहमति न लिए जाने के कारण PESA Act के प्रावधानों का उल्लंघन किए जाने, आदिवासियों को उनकी भूमि से वंचित किए जाने एवं मध्य प्रदेश की आदर्श पुनर्वास नीति, 2002 के प्रावधानों का पालन न किए जाने का उल्लेख किया गया था। आयोग को इसी आशय की शिकायत श्री मुश्ताक मंसूरी, जनता दल (यूनाइटेड) एवं श्रीमती वृन्दा करांत, माननीय सांसद से भी प्राप्त हुई थी जिस पर आयोग ने वहां जाकर स्थिति का अवलोकन करने एवं प्रभावित परिवारों से चर्चा करने का निर्णय लिया।

7.1 आयोग ने सर्वप्रथम शिकायतकर्ताओं अथवा उनके प्रतिनिधियों को विषय पर बोलने के लिए आहूत किया। श्री बिसाहू लाल सिंह, माननीय विधायक के अलावा दोनों अन्य शिकायतकर्ता अथवा उनकी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं थे। अतः आयोग ने श्री बिसाहू लाल सिंह, माननीय विधायक से उनके द्वारा भेजी गई शिकायत के संबंध में जानकारी ली।

7.2 श्री बिसाहू लाल सिंह, माननीय विधायक ने आयोग को निम्नलिखित जानकारियां दीं:

1) अनूपपुर जिला अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत आता है तथा राज्य सरकार ने मोजर वेयर, वेल स्पन, न्यू जोन इंडिया आदि निजी कंपनियों की स्थापना के लिए जिले के किसानों, जिनमें से आधे से ज्यादा अनुसूचित जनजाति के हैं, की भूमि अधिग्रहित की है। जिन ग्रामों की भूमि अधिग्रहित की गई वहां की ग्राम सभाओं ने अधिग्रहण का विरोध किया था। बैठक में ग्रामवासियों की उपस्थिति ली गई थी एवं अधिग्रहण के पक्ष में कोई प्रस्ताव भी पास नहीं किया गया था। उल्टे भूमि अधिग्रहण का विरोध किया गया था। कुछ सरपंचों ने अधिग्रहण का विरोध किया जिन्हें आरोप लगाकर हटा दिया गया। ग्राम पड़ोर एवं धरुवासिन के सरपंच इसका उदाहरण हैं। बैठक में ली गई हाजिरी को ही अधिग्रहण के पक्ष में प्रस्ताव का ग्रामीणों द्वारा अनुमोदन माना गया जो कि PESA Act के प्रावधानों का उल्लंघन है।

2) भूमि अधिग्रहण के पूर्व राज्य सरकार एवं मोजर वेयर के बीच करारनामा हुआ था। इसके अंतर्गत यह प्रावधान किया गया था कि कंपनी द्वारा विस्थापित परिवारों के राहत एवं पुनर्वास हेतु मध्य प्रदेश की आदर्श पुनर्वास नीति, 2002 के प्रावधानों का पालन किया जाएगा। इस नीति के बिन्दु 4 में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लोगों को ली गई भूमि के बराबर भूमि दूसरे स्थान पर दिए जाने का उल्लेख है किन्तु इस परियोजना में एक भी विस्थापित को भूमि के बदले भूमि नहीं दी गई जो कि उन्हें नियमानुसार दिलाई जानी चाहिए। उक्त नीति में यह प्रावधान भी है कि यदि अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के लोग वन भूमि अथवा राजस्व विभाग की सरकारी भूमि पर काबिज है तो उन्हें भी मुआवजा दिया जाना चाहिए। किन्तु राज्य सरकार ने माननीय मुख्य मंत्री की अध्यक्षता में एक समिति बनाकर वर्ष 2002 की आदर्श पुनर्वास नीति के प्रावधानों को शिथिल करते हुए निजी क्षेत्र की कंपनियों से करारनामे किए और भूमि के बदले भूमि देने के प्रावधान को बड़ी परियोजनाओं के लिए लागू नहीं करने का निर्णय लिया।

3) मोजर वेयर की परियोजना के लिए 1800 हेक्टर भूमि ली गई जिसपर 2000 मेगा वाट का पावर प्लांट लगाया जाना था। किन्तु कंपनी द्वारा केवल 1200 मेगा वाट का प्लांट ही लगाया जा रहा है अतः कंपनी द्वारा

Rameshwar Oraon

डा० रामेश्वर उरांव / Dr. RAMESHWAR ORAON
अध्यक्ष / Chairman
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार / Govt. of India
नई दिल्ली / New Delhi

अपनी आवश्यकता से अधिक भूमि ली गई है। यदि भविष्य में कंपनी का विस्तार किया जाना था तो बाद में भी भूमि अधिग्रहण किया जा सकता था। जहां राज्य सरकार किसानों को रू. 8 लाख प्रति एकड़ मुआवजा देने की घोषणा कर रही है वहीं उन्हें वास्तव में रू. 58,000/– प्रति एकड़ ही दिया जा रहा है।

4) इस परियोजना के लिए सौन नदी पर बांध बनाने का काम चालू है जिससे नहर बनाकर प्लांट तक पानी लाया जाएगा। इससे कुकरनोड़ा, चलना आदि 10–12 गांवों के लोग बांध में पानी भरने से विस्थापित होंगे। उन्हें कोई मुआवजा नहीं मिला। बांध में पानी भरना शुरू हो गया है किन्तु वहां के लोगों को कहीं और नहीं बसाया जा रहा है और न ही भूमि की बदले भूमि दी जा रही है। इस प्लांट के आस–पास रहने वाले लोगों को मुआवजा दिए बिना ही कंपनी ने ऊंची दीवार बनाकर घेरा बंदी कर दी है। कंपनी ने वन अधिकार रखने वाले परिवारों के अधिकारों को भी मान्यता नहीं दी। कंपनी के प्रबंधन के विरूद्व अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम की धारा 3 (1) iv,v तथा xv के तहत कार्रवाई की जानी चाहिए।

वहां उपस्थित बहुत से परियोजना प्रभावित व्यक्तियों, जिनमें अनुसूचित जनजाति सहित अन्य वर्गों के भी लोग थे, ने आयोग के सामने विभिन्न समस्याएं रखीं जिनमें से प्रमुख निम्नलिखित हैः

1) धुरवासिन की सरपंच गणेशवती ने आयोग को बताया कि मोजर वेयर कंपनी ने 16–1–2012 को गांव के हाई स्कूल में टेंट लगाया और ग्राम सभा की बैठक बुलाई जिसमें तत्कालीन कलेक्टर और अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व भी उपस्थित थे। बैठक में पूरी ग्रामसभा ने कंपनी को जमीन दिए जाने का विरोध किया। इस पंचायत में 2 ग्राम हैं। उपस्थित लोगों की हाजिरी ली गई। बैठक में कोई प्रस्ताव पास नहीं हुआ। कंपनी वालों ने उपस्थित लोगों को नाश्ता भी कराया। वहां लगभग 50 लोग थे जिन्होंने जमीन लिए जाने की बात सुनकर विरोध किया जिसके बाद कलेक्टर उठकर चले गए। 3 दिन बात उन्हें सरपंच पद से हटा दिया गया और उप सरपंच को प्रभार देकर 23 जनवरी को ग्राम सभा कराई जिसमें उन्हें नहीं बुलाया। बाद में पता चला कि कुछ लोगों से जबरदस्ती हस्ताक्षर कराए गए। पंचायत का सचिव शिवकुमार पनिका मनमानी करता है और उनके हस्ताक्षर करके पैसे भी निकाल लेते है। उसे हटाने के लिए प्रस्ताव पास किया किन्तु कुछ नहीं हुआ।

2) ग्राम पड़ोर की निवासी अनुसूचित जनजाति की देववती बाई, मुन्नी बाई और लाल सिंह ने बताया कि उनकी भूमि मोजर वेयर पावर प्लांट में जल आपूर्ति के लिए बनाए जा रहे बांध के डूब क्षेत्र में आ रही है जिसकी सूचना उन्हें मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, अनूपपुर द्वारा दिनांक 5–1–12 को दी गई है किन्तु कोई मुआवजा नहीं दिया गया है।

3) अनुसूचित जनजाति के ही श्री यशपाल सिंह गोंड़, पिता हीरा निवासी ग्राम टकहुली ने बताया कि उनकी एवं श्री मुल्ला सिंह गोंड की भूमि के पास मोजर वेयर कंपनी ने बाउंड्री वाल बना दी है जिसके कारण बरसात का पानी खेतों में जमा हो गया और फसल नष्ट हो गई। उन्होंने जल भराव से नष्ट हुई फसलों का मुआवजा दिलाने का अनुरोध किया।

4) ग्राम अमगवा के श्री तुलाराम सिंह ने बताया कि उनकी 3 एकड़ जमीन प्लांट हेतु ली गई है और उनके गांव की कुल 1450 एकड़ जमीन गई हैं। स्थानीय प्रशासन ने सर्वे नहीं किया और न ही किसानों को ग्राम सभा की माध्यम से अवगत कराया। उनकी 2 फसली जमीन थी किन्तु मुआवजा बंजर की दर से बना दिया और लगभग 60,000/– प्रति एकड़ ही मुआवजा दिया। उन्होंने ठीक से सर्वे किए जाने और निस्तार, पेड़–पौधे आदि के लिए भी मुआवजा दिए जाने की मांग की। श्री दादूराम राठौर और कई अन्य लोगों ने भी इसी आशय की शिकायत की।

5) ग्राम गुवारी के श्री मेठलाल ने बताया कि उनके कब्जे में 3.5 एकड़ सरकारी जमीन थी जिसका अधिग्रहण किया गया किन्तु मुआवजा नहीं दिया गया। उनके लड़के को ठेकेदार के माध्यम से रोजगार मिला।

Rameshwar Oraon

डा० रामेश्वर उरांव / Dr. RAMESHWAR ORAON
अध्यक्ष / Chairman
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार / Govt. of India
नई दिल्ली / New Delhi

6) ग्राम मुरा की श्रीमती मान कुंवर पत्नी संतोष ने आयोग को बताया कि उनका घर कंपनी वालों ने तोड़ दिया और उसका कोई मुआवजा भी नहीं दिया।

7) वहां बड़ी संख्या में मौजूद लोगों ने आयोग को जानकारी दी कि कंपनी ने पानी सप्लाई हेतु जो बांध और नहर बनाई हैं उसमें डूब में आने वाली भूमि का ठीक ढंग से सर्वेक्षण नहीं किया गया एवं कोई मुआवजा भी नहीं दिया गया। तत्कालीन एसडीएम द्वारा एक विस्थापित से एक लाख रूपए अवैध ढ़ंग से लेने की शिकायत आयोग को की गई जिस पर जिला कलेक्टर ने जांच जारी रहने की बात कही। आयोग को बताया गया कि मोजर वेयर कंपनी द्वारा उन किसानों की भूमि भी घेर ली गई जिनकी भूमि का न तो अधिग्रहण हुआ और न ही जिन्हें कोई मुआवजा दिया गया। कुछ लोगों ने कंपनी द्वारा सीधे रोजगार न देते हुए ठेकेदारों के माध्यम से अस्थाई रोजगार देने की शिकायत की और कहा कि कंपनी के माध्यम से स्थाई रोजगार दिलाई जाना चाहिए। बड़ी संख्या में उपस्थित लोगों ने बीपीएल सूची में नाम शामिल न किए जाने, वन अधिकारों की मान्यता न दिए जाने, पात्रता के बावजूद इंदिरा आवास योजना का लाभ न दिए जाने आदि विषयों पर भी शिकायतें दी। कई लोगों ने बिना अधिग्रहण हुए एवं बिना मुआवजा दिए कंपनी की बाउंड्री वाल बनाने का विरोध करने पर पुलिस द्वारा कंपनी का पक्ष लेकर जेल में बंद कर देने की भी शिकायत की जिसे आयोग ने गंभीरता से लिया और पुलिस अधीक्षक से ऐसे मामलों की समीक्षा करने को कहा।

कार्रवाईः म.प्र. शासन/ जिला कलेक्टर, अनूपपुर

आयोग के अध्यक्ष ने वहां मौजूद जिला कलेक्टर से उन समस्याओं का शीध्र निराकरण कराने का निर्देश दिया जिनका समाधान जिला स्तर पर किया जा सकता है। उन्होंने वहां मौजूद लोगों को भी बड़ी संख्या में उपस्थित होकर भूमि अधिग्रहण तथा राहत और पुनर्वास से जुड़ी जानकारियां आयोग के साथ साझा करने के लिए धन्यवाद दिया।

भूमि अधिग्रहण और परियोजना प्रभावित परिवारों को राहत तथा पुनर्वास से जुड़े मामलों पर अनूपपुर में जिला स्तरीय बैठक।

8.0 आयोग ने निजी क्षेत्र के उद्योंगों की स्थापना के लिए भूमि अधिग्रहण तथा परियोजना प्रभावित परिवारों को राहत और पुनर्वास से जुड़े मामलों पर अनूपपुर में जिला कलेक्टर तथा अन्य संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में श्री आशीष उपाध्याय, आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग, म.प्र. शासन एवं जिले के पुलिस अधीक्षक भी उपस्थित थे। बैठक में आयोग के साथ निम्नलिखित बिन्दुओं पर विस्तार से चर्चा हुईः

1) आयोग को बताया गया कि मध्य प्रदेश शासन द्वारा Land Acquisition Act, 1894 के प्रावधानों के तहत जनहित में भूमि का अधिग्रहण किया गया है। जनहित शब्द की परिभाषा के संबंध में पूछे जाने पर जिला कलेक्टर, अनूपपुर ने बताया कि इस शब्द का व्यापक संदर्भ में प्रयोग किया जाता है। मुख्यतः आधारभूत संरचना की स्थापना हेतु भूमि का अधिग्रहण किया गया है। मध्य प्रदेश में बिजली की कमी है तथा शासन के निर्णयानुसार बिजली उत्पादन जनहित में आता है।

2) आयोग ने मध्य प्रदेश भू–राजस्व संहिता के प्रावधानों पर भी चर्चा की जिसमें अनुसूचित जनजातियों की भूमि गैर अनुसूचित जनजातियों को हस्तांतरित करने के संबंध में रोक संबंधी प्रावधान है। आयोग ने यह प्रश्न भी उठाया कि अनुसूचित क्षेत्र में आदिवासियों की भूमि सरकार द्वारा अधिग्रहित करके निजी कंपनियों को कैसे हस्तांतरित की जा रही है जबकि इन कंपनियों में किसी भी स्तर पर आदिवासियों का मालिकाना हक/प्रतिनिधित्व नहीं है।

3) आयोग ने PESA Act के उल्लंधन की शिकायतों को गंभीरता से लिया। आयोग ने ध्यान दिलाया कि लहरपुर (मुरी) में मोजरवेयर पावर प्लांट के निकट परियोजना प्रभावितों के साथ हुई बैठक में यह शिकायत बार–बार की गई कि भूमि अधिग्रहण के प्रस्ताव पर चर्चा हेतु कई ग्राम सभाओं ने प्रस्ताव का विरोध किया था फिर भी सरपंचों को हटाकर या डरा–धमकाकर अधिग्रहण कर लिया गया। आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग ने चर्चा

डा० रामेश्वर उरांव / Dr. RAMESHWAR ORAON
अध्यक्ष / Chairman
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार / Govt. of India
नई दिल्ली / New Delhi

में भाग लेते हुए बताया कि उक्त एक्ट में ग्राम सभाओं के साथ परामर्श किए जाने का ही प्रावधान है। इस पर आयोग के अध्यक्ष ने कहा कि यदि ग्राम सभा प्रस्ताव का विरोध करती है तो प्रस्ताव में इस बात का उल्लेख होना चाहिए था कि ग्राम सभा द्वारा प्रस्ताव अमान्य किया गया है न कि यह उल्लेख किया जाना था कि ग्राम सभा ने प्रस्ताव मान्य किया है। उन्होंने यह भी कहा कि ग्राम सभा की बैठक में उपस्थिति ली गई थी जिसे ग्रामीणों की सहमति नहीं माना जा सकता। इससे प्रतीत होता है कि अधिग्रहण के मामलों में प्रकियागत खामियां रही हैं।

4) आयोग ने यह उल्लेख भी किया कि मध्य प्रदेश की आदर्श पुनर्वास नीति, 2002 में अनुसूचित जनजातियों हेतु कई अच्छे प्रावधान हैं जिनमें भूमि के बदले भूमि दिए जाने की बात भी सम्मिलित हैं। इसके अलावा भूमिहीनों, सरकारी एवं वन भूमि पर काबिज लोगों के अधिकारों आदि को भी मान्य किया गया है। आयोग ने जानना चाहा कि किस प्रकिया के तहत मोजर वेयर और अन्य बड़ी परियोजनाओं में (जिनमें 100 एकड़ या उससे अधिक भूमि का हस्तांतरण किया जाना हो) आदिवासियों को भूमि के बदले भूमि दिए जाने के प्रावधान को शिथिल किया गया है। आयोग को बताया गया कि मध्य प्रदेश परियोजना के विस्थापित (पुनर्स्थापन) अधिनियम, 1985 में प्रावधानित राज्य स्तरीय सलाहकार समिति, जिसके अध्यक्ष माननीय मुख्य मंत्री जी हैं, उसके द्वारा बड़ी परियोजनाओं के मामले में पुनर्वास योजना का अनुमोदन किया जाता है तथा वही समय–समय पर पुनर्वास योजना के कियान्वयन की समीक्षा भी करती है। बैठक में यह स्पष्ट नहीं किया जा सका कि बड़ी परियोजनाओं के मामले में मध्य प्रदेश की आदर्श पुनर्वास नीति, 2002 के प्रावधानों में छूट दिए जाने का क्या कारण था।

5) आयोग ने कहा कि ग्रामीणों ने भूमि अधिग्रहण किए जाने से पूर्व प्रशासन द्वारा उनके वन अधिकारों को मान्यता न दिए जाने, सरकारी भूमि पर काबिज लोगों का सही ढंग से सर्वेक्षण न किए जाने की शिकायतें की हैं। इतने बड़े पैमाने पर भूमि अधिग्रहित किए जाने से पूर्व इन दावों का निराकरण किया जाना जरूरी था ताकि किसी भी ऐसे व्यक्ति को वंचित न होना पड़े जिसका पुनर्वास योजना के अंतर्गत लाभ पाने का हक बनता हो। जिला कलेक्टर ने बताया कि सरकारी भूमि पर काबिज परिवारों की सूची की पुष्टि शीध्र ही की जाएगी। आयोग ने जिला कलेक्टर को इस संबंध में प्राप्त सभी शिकायतों का निर्धारित समय सीमा के भीतर निराकरण करने का अनुरोध भी किया।

6) आयोग ने कहा कि कंपनी द्वारा परियोजना प्रभावित परिवारों को रोजगार दिए जाने का उल्लेख सहमति पत्र में किया गया है किन्तु कंपनी द्वारा उन्हें सीधे रोजगार न देकर ठेकेदारों के यहां काम दिया गया है जो कि निर्माण कार्य पूर्ण होने पर खत्म हो जाएगा और परियोजना प्रभावित लोगों के परिजन पूरी तरह बेरोजगार हो जाएंगे। कंपनी को सीमित संख्या में कुशल व्यक्तियों, डिप्लोमा धारियों एवं इजीनियरों की जरूरत हैं जबकि अधिकतर परियोजना प्रभावित अकुशल हैं। रोजगार उपलब्ध न कराने पर देय भत्ता भी नाम मात्र का है। परियोजना का द्वितीय चरण शुरू करने हेतु कोई समय सीमा भी निर्धारित नहीं की गई है तथा दोनों चरणों के लिए भूमि अधिग्रहित कर ली गई है। कुछ परियोजना प्रभावितों को दुकानें भी आवंटित की जानी है जिनमें अनुसूचित जनजातियों हेतु कोई आरक्षण नहीं रखा गया है जबकि आधे प्रभावित परिवार इसी वर्ग से हैं। राज्य सरकार द्वारा कंपनी से किया गया अनुबंध आधा–अधूरा तथा कंपनी के पक्ष में हैं न कि लोगों के पक्ष में। ऐसा कोई बंधन कारी प्रावधान भी नहीं रखा गया है कि कंपनी को निश्चित समय सीमा में अस्पताल, विद्यालय, सड़क, बिजली, पानी आदि सुविधाएं पुनर्वास स्थलों पर उपलब्ध करानी हैं। यदि कंपनी ये सुविधाएं समय पर उपलब्ध न कराया तो उसके विरूद्व क्या कार्रवाई की जा सकती है, यह भी स्पष्ट नहीं है।

7) आयोग ने कहा कि मोजर वेयर कंपनी के प्लांट के लिए पानी उपलब्ध कराने हेतु बांध बनाया जा रहा है तथा पानी लाने के लिए नहर भी बन रही है किन्तु ग्रामीणों ने शिकायत की है कि इसके पूर्व सर्वे नहीं किया गया है तथा कंपनी के साथ बांध बनाने के लिए कोई अनुबंध भी नहीं किया गया है। आयोग ने इस संबंध में निर्धारित प्रकिया का पालन करने और जिन लोगों की भूमि डूब रही है या नहर में जा रही है, उन्हें नियमानुसार देय मुआवजे का भुगतान करने का निर्देश दिया।

8) आयोग ने जिले की निजी क्षेत्र की ही न्यू जोन परियोजना के बारे में भी जानकारी ली। आयोग को बताया गया कि इस परियोजना के लिए भी भूमि अधिग्रहित किए जाने के बाद ही राहत एवं पुनर्वास योजना तैयार की

डा० रामेश्वर उरांव / Dr. RAMESHWAR ORAON
अध्यक्ष / Chairman
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार / Govt. of India
नई दिल्ली / New Delhi

गई है। आयोग ने मत व्यक्त किया कि किसी भी परियोजना हेतु भूमि अधिग्रहण अधिसूचना जारी करने से पहले ही SIA किया जाना चाहिए।

कार्रवाईः म.प्र. शासन/ जिला कलेक्टर, अनूपपुर

बैठक के अंत में जिला कलेक्टर ने आयोग के माननीय अध्यक्ष, सदस्य एवं अधिकारियों तथा आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग, मध्य प्रदेश शासन को धन्यवाद दिया।

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय आदिवासी विश्वविद्यालय, अमरकंटक में अनु. जनजातियों को सेवाओं में प्राप्त सुरक्षणों के कियान्वयन एवं विद्यार्थियों के कल्याण हेतु किए जा रहे उपायों पर समीक्षा बैठक।

9.00 आयोग ने अपरान्हः 16.00 बजे इंदिरा गांधी राष्ट्रीय आदिवासी विश्वविद्यालय, अमरकंटक, जिला अनूपपुर का दौरा किया एवं विश्वविद्यालय के कुलपति, रजिस्ट्रार, प्राध्यापकों एवं छात्रों के साथ बैठक कर अनुसूचित जनजातियों को सेवाओं में प्राप्त सुरक्षणों के कियान्वयन तथा छात्रों के कल्याण से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। बैठक के प्रारंभ में विश्वविद्यालय के कुलपति ने आयोग के माननीय अध्यक्ष, सदस्य एवं अधिकारियों का स्वागत किया। तदुपरांत आयोग को विश्वविद्यालय की स्थापना, विकास एवं उसके विभिन्न पाठ्यक्रमों के बारे में जानकारी दी गई। आयोग को दी गई जानकारी एवं विश्वविद्यालय में अनुसूचित जनजातियों को सेवाओं में प्राप्त सुरक्षणों के कियान्वयन तथा विद्यार्थियों के कल्याण के संबंध में आयोग के निष्कर्ष निम्नानुसार हैंः

1) भारत सरकार द्वारा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय आदिवासी विश्वविद्यालय का गठन इंदिरा गांधी राष्ट्रीय आदिवासी विश्वविद्यालय एक्ट, 2007 के तहत किया गया है। अधिनियम की धारा 4 में विश्वविद्यालय के लिए 7 लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। आयोग को यह प्रतीत हुआ कि विश्वविद्यालय ने निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए कोई विशिष्ट कार्य–योजना नहीं बनाई है। अतः विश्वविद्यालय के गठन के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु सही दिशा में कदम उठाए जाने की आवश्यकता है ताकि इसे आदिवासियों में उच्च शिक्षा एवं शोध के अग्रणी संस्थान का रूप दिया जा सके। अतः आयोग ने संस्तुति की कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय तथा विश्व विद्यालय अनुदान आयोग ऐसे उपाय करें कि अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थी और अधिक संख्या में विश्वविद्यालय में प्रवेश पा सकें और ऐसे क्षेत्रों में अध्ययन करें जिनकी आज के परिदृश्य में अधिक मांग है जैसे इंजीनियरिंग, चिकित्सा आदि। इसके बिना विश्वविद्यालय के गठन के लक्ष्यों को प्राप्त नहीं किया जा सकता।

2) आयोग ने यह पाया कि विश्वविद्यालय में अनुसूचित जनजातियों हेतु सेवाओं में आरक्षण संबंधी प्रावधानों का अभी तक पालन नही किया गया है। विश्वविद्यालय अभी शुरूआती दौर में हैं तथा नियुक्तियां की जा रही हैं। आरक्षित श्रेणी के कुछ पद विज्ञापित भी किए गए हैं। अतः आयोग ने विभिन्न पदों पर नियुक्तियां करते समय अनुसूचित जनजातियों हेतु आरक्षण संबंधी प्रावधानों के पालन का निर्देश दिया। विशेष कर एक ही स्तर, योग्यता एवं वेतनमान के पदों की आरक्षण हेतु ग्रुपिंग करने तथा रोस्टरों का डी ओ पी टी के निर्देशों के अनुसार संधारण करने की आवश्यकता है। इस संबंध में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग सभी विश्वविद्यालयों को पुनः एक निर्देश जारी करें। आयोग ने विश्वविद्यालय को निर्देश दिया कि उपरोक्त कार्रवाई एक माह में पूर्ण कर ली जाए ताकि आयोग के भोपाल क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा रोस्टरों का निरीक्षण किया जा सके।

3) आयोग ने विश्वविद्यालय में अनुसूचित जातियों /अनुसूचित जनजातियों हेतु संपर्क अधिकारी नामित करने संबंधी डी ओ पी टी के निर्देशों का पालन किए जाने एवं इस वर्ग के कर्मचारियों/विद्यार्थियों की शिकायतें दूर करने के लिए उचित व्यवस्था करने का भी निर्देश दिया।

4) आयोग ने विद्यार्थियों के साथ चर्चा की जिसमें विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति मिलने में हो रहे विलंब की बात सामने आई। विश्वविद्यालय के कुलपति ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा छात्रवृत्ति हेतु ऑन–लाइन आवेदन करने की व्यवस्था करने के कारण विलंब हो रहा है। विश्वविद्यालय दूर–दराज के आदिवासी क्षेत्र में स्थित है जहां इंटरनेट की सुविधा भी नहीं है। बैठक में मौजूद अनूपपुर जिले के सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग ने बताया कि विश्वविद्यालय ने नए दिशा निर्देशों के अनुसार विद्यार्थियों के फार्म भरकर नहीं जमा कराए थे। आयोग

Rameshwar Oraon
डा० रामेश्वर उरांव / Dr. RAMESHWAR ORAON
अध्यक्ष / Chairman
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार / Govt. of India
नई दिल्ली / New Delhi

को यह महसूस हुआ कि यह स्थिति विश्वविद्यालय एवं जिला प्रशासन से संबंधित विभाग के बीच ताल–मेल की कमी तथा विश्वविद्यालय स्तर पर प्रयास में कमी के कारण आई है। विश्वविद्यालय प्रशासन को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि छात्रवृत्ति समय पर वितरित की जाए। इसके लिए जिले के अधिकारियों के साथ सतत् संपर्क रखना चाहिए। मध्य प्रदेश के अलावा विश्वविद्यालय में अध्ययनरत अन्य राज्यों के छात्रों को समय पर छात्रवृत्ति देने हेतु संबंधित राज्य सरकारों के साथ भी संपर्क रखा जाना चाहिए।

5) इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के छात्रों ने आयोग को जानकारी दी कि उनको छात्रवृति का समय पर भुगतान नहीं किया जा रहा है जिसकी वजह से वे हड़ताल पर हैं । आयोग द्वारा विश्वविद्यालय के कुलपति को सुझाव दिया कि आदिवासी छात्रों को छात्रवृति का भुगतान समय पर ही किया जाये ताकि उनके द्वारा हड़ताल जैसी स्थिति उत्पन्न न की जा सके ।

6) आयोग ने विश्वविद्यालय के कुलपति को सुझाव दिया कि अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थी एक भिन्न परिवेश से आते हैं और उनमें स्वाभाविक झिझक होती है। विश्वविद्यालय को उन विद्यार्थियों के लिए विशेष सपोर्ट कक्षाएं शुरू करनी चाहिए जिससे उनके व्यक्तित्व का विकास हो सके तथा उनके रोजगार के अवसर बढ़ सकें।

कार्रवाई: मा.सं. विकास मंत्रालय, वि.वि. अनुदान आयोग, इं.गां.रा.आ.वि.वि.,जिला प्रशासन, अनूपपुर

बैठक के अंत में विश्वविद्यालय के कुलपति ने आयोग के अध्यक्ष, सदस्य तथा अधिकारियों को धन्यवाद दिया।

16–9–2012

अमरकंटक में अनुसूचित जनजाति के सदस्यों से उनकी समस्याओं के संबंध में चर्चा।

10.00 आयोग के माननीय अध्यक्ष एवं सदस्य से अमरकंटक में अनुसूचित जनजाति के कई व्यक्तियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं एवं स्थानीय राजनीतिक व्यक्तियों ने मुलाकात की। उन्होंने आदिवासी क्षेत्रों में सड़क, बिजली, पानी, सामाजिक सुरक्षा की योजनाओं एवं विकास कार्यक्रमों के कियान्वयन की स्थिति एवं कमियों के संबंध में आयोग से चर्चा की। कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओं ने इंदिरा गांधी राष्ट्रीय आदिवासी विश्वविद्यालय की सेवाओं एवं पठन–पाठन में अनुसूचित जनजातियों की उपेक्षा किए जाने का भी उल्लेख किया।

आयोग का दल ने शाम 17.00 बजे अमरकंटक से अनूपपुर के लिए प्रस्थान किया एवं वहां से रात्रि 23.35 बजे अमरकंटक एक्सप्रेस से भोपाल के लिए रवाना हुआ।

17–9–2012

भोपाल आगमन

11.00 आयोग का दल प्रातः 10.15 बजे हबीबगंज (भोपाल) पहुंचा जहां अनुसूचित जनजातियों के विभिन्न संगठनों के सदस्यों एवं पदाधिकारियों ने उसका भव्य स्वागत किया।

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल में किए जा रहे काम–काम का अवलोकन।

11.01 आयोग के माननीय अध्यक्ष, संयुक्त सचिव एवं उप निदेशक ने अपरान्हः13.00 बजे आयोग के भोपाल स्थित क्षेत्रीय कार्यालय में उपस्थित होकर कार्यालयीन काम–काज की समीक्षा एवं निरीक्षण किया। कार्यालय में बड़ी संख्या में अनुसूचित जनजाति के सदस्यों एवं उनके कल्याण संघ के पदाधिकारियों ने आयोग के अध्यक्ष का अभिनंदन किया और अपनी समस्याओं के संबंध में अभ्यावेदन दिए।

Rameshwar Oraon
डा० रामेश्वर उरांव / Dr. RAMESHWAR ORAON
अध्यक्ष / Chairman
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार / Govt. of India
नई दिल्ली / New Delhi

प्रमुख सचिव, आदिम जाति कल्याण विभाग, म.प्र. शासन एवं आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग, म.प्र. द्वारा आयोग के माननीय अध्यक्ष से चर्चा।

11.2 अपरान्हः 15.00 बजे श्री एस.के. सिंह, प्रमुख सचिव, आदिम जाति कल्याण विभाग, म.प्र. शासन तथा श्री आशीष उपाध्याय, आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग,म.प्र. ने आयोग के भोपाल क्षेत्रीय कार्यालय में माननीय अध्यक्ष, संयुक्त सचिव एवं उप निदेशक से सौजन्य भेंट की। बैठक में उनके बीच आयोग के म.प्र. के सिंगरौली और अनूपपुर जिलों के दौरे में भूमि अधिग्रहण तथा परियोजना प्रभावित परिवारों को राहत एवं पुनर्वास से जुडी समस्याओं पर चर्चा हुई। मुख्यतः जनहित शब्द की व्याख्या, निजी कंपनियों की स्थापना के लिए अनुसूचित क्षेत्रों में राज्य सरकार द्वारा भूमि अधिग्रहण, PESA Act के प्रावधानों की कथित रूप से अवहेलना, राहत एवं पुनर्वास पैकेजों को लागू करने के लिए प्रशासक की नियुक्ति, बड़े उद्योगों की स्थापना के लिए म.प्र. की आदर्श पुनर्वास नीति, 2002 के प्रावधानों में शिथिलता, आदिवासियों को भूमि के बदले भूमि न दिया जाना तथा माननीय मुख्य मंत्री, म.प्र. की अध्यक्षता में गठित समिति की कार्यप्रणाली पर बैठक में विस्तार से चर्चा की गई।

18–9–2012

आयोग का दल एयर इंडिया की फ्लाइट संख्या ए आई 633 द्वारा प्रातः 09.10 बजे भोपाल से नई दिल्ली के लिए रवाना हुआ।

सभी प्राधिकारी अपने–अपने विभाग से संबंधित विषय पर आयोग द्वारा की गई समीक्षा के अनुरूप आवश्यक कार्रवाई करे तथा कृत कार्रवाई की रिर्पोट आयोग को दो माह की अवधि में अवश्य भेजने की व्यवस्था करें ।

Rameshwar Oraon

डा० रामेश्वर उरांव / Dr. RAMESHWAR ORAON
अध्यक्ष / Chairman
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार / Govt. of India
नई दिल्ली / New Delhi